ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

1. आरबीआई कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंज़िल के रेनोवेशन से जुड़े इलेक्ट्रिकल काम' के काम के लिए, सूचीबद्ध ठेकेदार से ई-टेंडर मंगाया गया है। काम की अनुमानित लागत ₹13,23,689/- (जीएसटी मिलाकर) है और इसे बैंक से वर्क आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन से 90 दिनों के अंदर पूरा करना है।

2. एलिजिबिलिटी मानक: आरबीआई, कोच्ची में संबंधित कैटेगरी (₹10 लाख से ₹25 लाख) में इलेक्ट्रिकल कामों के लिए सूचीबद्ध बिडर्स।

3. ई-टेंडर केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) https://etenders.gov.in/eprocure/app द्वारा आरबीआई की ओर से तीसरे पक्ष के रूप में किया जाएगा। इसलिए, इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया के बारे में विवरण अनुलग्नक-7 में संलग्न है। ई-टेंडर दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। ई-टेंडर के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी और ई-टेंडर के भाग II में मूल्य बोली होगी। दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सभी आवश्यक अनुलग्नक भी निविदा के भाग I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह एक ई-टेंडर बोली है, और बोलीदाताओं को खोलने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। मूल्य बोली में दिखाई देने वाला विवरण कार्यों के विस्तृत दायरे को व्यापक रूप से कवर कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

4. बैंक सबसे कम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी टेंडर को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए, अपनी मर्ज़ी से किसी भी या सभी टेंडर को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

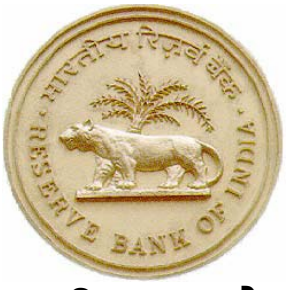
5. बैंक के पास परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/ बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त जारी करने का अधिकार है, जिसे सिर्फ़ आरबीआई और सीपीपीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। ऐसे अपडेट निविदा दस्तावेज़ का एक ज़रूरी हिस्सा होंगे, और अलग-अलग बिडर्स को कोई अलग नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा। किसी भी बदलाव के लिए इन पोर्टल्स को मॉनिटर करना पूरी तरह से बिडर्स की ज़िम्मेदारी है।

6. निविदा (एसओटी) का शेड्यूल इस तरह है:

क्रम संख्या	वस्तु	विवरण
1	ई-निविदा संख्या	2026_RBI_297389
2	ई-निविदा आईडी	2026_RBI_297389
3	निविदा आमंत्रण प्राधिकरण	महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची (ईमेल आईडी: estatekochi@rbi.org.in)
4	कार्य का नाम	ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।
5	निविदा का तरीका	(सीपीपीपी), https://etenders.gov.in/eprocure/app के ज़रिए ई-खरीद प्रणाली। सभी इच्छुक बिडर्स को ऊपर बताई गई वेबसाइट के ज़रिए रजिस्टर करना होगा।
6	अनुमानित लागत	₹13,23,689/- (जीएसटी सहित)
7	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य

8	प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5%, जो किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में जारी किया जाएगा।
9	रिटेंशन मनी डिपॉजिट (आरएमडी)	बिलों से 5% काटा जाएगा (काम की कीमत का 5%)।
10	एनआईटी और निविदा देखने/डाउनलोड करने की तारीख और समय	10 नवंबर, 2026, 15:00 बजे के बाद।
11	प्री-बिड मीटिंग की तारीख, समय और स्थान (ऑफ़लाइन)	12 नवंबर, 2026, समय: 15:00 बजे, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।
12	प्री-बिड मीटिंग के नतीजे को आरबीआई वेबसाइट पर एडेंडम, कोरिजेंडम वगैरह के रूप में अपलोड करने की तारीख और समय।	13 नवंबर, 2026, 14:00 बजे से पहले।
13	बोली शुरू होने की तारीख	13 नवंबर, 2026, 15:00 बजे।
14	ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख।	17 नवंबर, 2026, 14:00 बजे।
15	बोली वैधता	निविदा (पार्ट-I) खुलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन)। आपसी सहमति से इस समय को बढ़ाया जा सकता है, और बोली लगाने वाला इस समय के दौरान निविदा को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।
16	निविदा खोलने की तारीख और समय (पार्ट-I)	18 नवंबर, 2026, 15:00 बजे।
17	निविदा खोलने की तारीख और समय (पार्ट-II)	योग्य बिडर्स को अलग से बताया जाएगा।
18	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से वर्क आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन से 90 दिन।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची-682018



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोच्ची

के लिए ई-निविदा

आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य

पार्ट-I

(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची-682018

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	वस्तु		पृष्ठ सं.
	पार्ट-I		
1	खंड-I	**ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)**	**3**
2	खंड – II	**निविदा का प्रारूप**	**5**
3	खंड-III	**बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश**	**7**
4	खंड-IV	**अनुबंध की सामान्य शर्तें**	**14**
5	खंड-V	**अनुबंध की विशेष शर्तें**	**36**
6	खंड-VI	**इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट**	**38**
7	धारा-VII	**सुरक्षा कोड**	**39**
8	खंड-VIII	**तकनीकी विनिर्देश और कार्य का दायरा**	**42**
9	खंड-IX	**लेआउट**	**47**
10	खंड-X	**चेक सूची**	**50**
11	खंड-XI	**स्वीकृत ब्रांडों की सूची**	**51**
12		**अनुबंध**	**52**
	भाग-II		
13	खंड-XII	**बिना मूल्य वाली मात्राओं का बिल**	**70**

खंड-I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

1. आरबीआई कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंज़िल के रेनोवेशन से जुड़े इलेक्ट्रिकल काम' के काम के लिए, सूचीबद्ध ठेकेदार से ई-टेंडर मंगाया गया है। काम की अनुमानित लागत ₹13,23,689/- (जीएसटी मिलाकर) है और इसे बैंक से वर्क आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन से 90 दिनों के अंदर पूरा करना है।

2. एलिजिबिलिटी मानक: आरबीआई, कोच्ची में संबंधित कैटेगरी (₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख) में इलेक्ट्रिकल कामों के लिए सूचीबद्ध बिडर्स ।

3. ई-टेंडर केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) https://etenders.gov.in/eprocure/app द्वारा आरबीआई की ओर से तीसरे पक्ष के रूप में किया जाएगा । इसलिए, इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया के बारे में विवरण अनुलग्नक-7 में संलग्न है। ई-टेंडर दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। ई-टेंडर के भाग । में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी और ई-टेंडर के भाग ॥ में मूल्य बोली होगी। दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सभी आवश्यक अनुलग्नक भी निविदा के भाग । के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह एक ई-टेंडर बोली है, और बोलीदाताओं को खोलने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। मूल्य बोली में दिखाई देने वाला विवरण कार्यों के विस्तृत दायरे को व्यापक रूप से कवर कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

4. बैंक सबसे कम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी टेंडर को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए, अपनी मर्ज़ी से किसी भी या सभी टेंडर को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

5. बैंक के पास परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/ बोली पूर्व बैठक का कार्यवृत्त जारी करने का अधिकार है, जिसे सिर्फ़ आरबीआई और सीपीपीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। ऐसे अपडेट निविदा दस्तावेज़ का एक ज़रूरी हिस्सा होंगे, और अलग-अलग बिडर्स को कोई अलग नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा। किसी भी बदलाव के लिए इन पोर्टल्स को मॉनिटर करना पूरी तरह से बिडर्स की ज़िम्मेदारी है।

6. निविदा (एसओटी) का शेड्यूल इस तरह है:

क्रम संख्या	वस्तु	विवरण
1	ई-निविदा संख्या	2026_RBI_297389
2	ई-निविदा आईडी	2026_RBI_297389
3	निविदा आमंत्रण प्राधिकरण	महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची (ईमेल आईडी: estatekochi@rbi.org.in)
4	कार्य का नाम	ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।
5	निविदा का तरीका	(सीपीपीपी), https://etenders.gov.in/eprocure/app के ज़रिए ई-खरीद प्रणाली। सभी इच्छुक बिडर्स को ऊपर बताई गई वेबसाइट के ज़रिए रजिस्टर करना होगा ।

6	अनुमानित लागत	₹ 13,23,689/- (जीएसटी सहित)
7	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
8	प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5%, जो किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में जारी किया जाएगा।
9	रिटेंशन मनी डिपॉजिट (आरएमडी)	बिलों से 5% काटा जाएगा (काम की कीमत का 5%)।
10	एनआईटी और निविदा देखने/डाउनलोड करने की तारीख और समय	10 नवंबर, 2026, 15:00 बजे के बाद।
11	प्री-बिड मीटिंग की तारीख, समय और स्थान (ऑफ़लाइन)	12 नवंबर, 2026, समय: 15:00 बजे, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।
12	प्री-बिड मीटिंग के नतीजे को आरबीआई वेबसाइट पर एडेंडम, कोरिजेंडम वगैरह के रूप में अपलोड करने की तारीख और समय।	13 नवंबर, 2026, 14:00 बजे से पहले।
13	बोली शुरू होने की तारीख	13 नवंबर, 2026, 15:00 बजे।
14	ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख।	17 नवंबर, 2026, 14:00 बजे।
15	बोली वैधता	निविदा (पार्ट-I) खुलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन)। आपसी सहमति से इस समय को बढ़ाया जा सकता है, और बोली लगाने वाला इस समय के दौरान निविदा को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।
16	निविदा खोलने की तारीख और समय (पार्ट-I)	18 नवंबर, 2026, 15:00 बजे।
17	निविदा खोलने की तारीख और समय (पार्ट-II)	योग्य बिडर्स को अलग से बताया जाएगा।
18	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से वर्क आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन से 90 दिन।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची- 682018

खंड-I

निविदा का प्रारूप

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची 682018

मैडम/ सर,

1. मेमोरेंडम में बताए गए कामों से जुड़े स्पेसिफिकेशन्स, ड्राइंग्स, डिज़ाइन्स और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल की जांच करने के बाद, और उस मेमोरेंडम में बताए गए कामों की साइट पर जाकर जांच करने के बाद, निविदा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल करने के बाद, हम उस मेमोरेंडम में बताए गए कामों को, टाइम मेमोरेंडम में बताए गए समय के अंदर, साथ में दिए गए क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताई गई दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, एग्रीमेंट के आर्टिकल्स, स्पेशल शर्तों, क्वांटिटीज़ के शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बताए गए स्पेसिफिकेशन्स, डिज़ाइन्स, ड्राइंग्स और लिखित निर्देशों के साथ और हमारे द्वारा दिए गए सामान के साथ, और बाकी सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार, जहाँ तक वे लागू हो सकती हैं, सप्लाई और पूरा करने का ऑफर देते हैं।

ज्ञापन

क्रम संख्या	वस्तु	विवरण
1	कार्य का नाम	ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।
2	अनुमानित लागत	₹ 13,23,689/- (जीएसटी सहित)
3	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
4	प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5%, जो किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में जारी किया जाएगा।
5	रिटेंशन मनी डिपॉजिट (आरएमडी)	बिलों से 5% काटा जाएगा।
6	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से कार्य आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन से 90 दिन।

2. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम इसके साथ दी गई कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और नियमों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहाँ तक वे लागू हों, या उनका उल्लंघन करने पर शर्तों में बताई गई रकम ज़ब्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को दे देंगे।

3. अगर यह निविदा स्वीकार हो जाता है, तो हम निविदा के सभी सेवा शर्तें मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम निविदा में दी गई शर्तों में बताई गई रकम को ज़ब्त करके आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को देंगे, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट की लिखित स्वीकृति भी देंगे।

4. हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूरी तरह या कुछ हिस्से में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।

5. निविदा दो हिस्सों में जमा किया जाता है। पार्ट-I में सभी कमर्शियल सेवा शर्तें, और टेक्निकल विवरण हैं और पार्ट-II में सिर्फ़ बैंक के प्रोफ़ॉर्मा में प्राइस बिड है।

तारीख: आज, 2026, _____.

मेसर्स _____ की ओर से

(हस्ताक्षर मुहर सहित)
नाम:
पदनाम:
स्थान:
तारीख:

(ऊपर बताए गए साइन करने वाले के पावर ऑफ़ अटॉर्नी की प्रमाणित कॉपी साथ में लगानी होगी)।

गवाह
(1) हस्ताक्षर के साथ
नाम, पता और दिनांक _____

(2) हस्ताक्षर
नाम, पता और दिनांक _____

खंड-II

बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. **'कार्यालय भवन, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के रेनोवेशन से जुड़े इलेक्ट्रिकल काम'** के काम के लिए, सूचीबद्ध ठेकेदार से ई-निविदा मंगाया गया है ।

2. ठेकेदार अपने खर्च पर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि के दौरान कम से कम एक (1) योग्य इलेक्ट्रीशियन और एक (1) हेल्पर को रखेगा। वे काम के घंटों के दौरान प्रोजेक्ट साइट पर खुद मौजूद रहेंगे और बैंक के इंजीनियर की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना उन्हें हटाया या बदला नहीं जाएगा। ठेकेदार यह मानता है कि काम साइट पर दूसरे सिविल कामों के साथ मिलकर किया जाएगा। काम साइट पर काम की प्रोग्रेस के हिसाब से आगे बढ़ेगा। ठेकेदार काम के स्कोप, क्वांटिटी और प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए, ऊपर बताई गई मिनिमम मैनपावर के अलावा, और बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के क्लेम के, ज़रूरत के हिसाब से और स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को भी रखेगा।

3. **योग्यता मानक**: आरबीआई**,** कोच्ची में संबंधित कैटेगरी (₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख) में इलेक्ट्रिकल कामों के लिए सूचीबद्ध बिडर्स।

4. निविदा दो हिस्सों में जमा किए जाएंगे, यानी पार्ट-I में ऑफर की टेक्निकल और कमर्शियल विवरण होंगी और पार्ट-II में सिर्फ़ कीमतें होंगी। निविदा के पार्ट-I के वे पेज जहां विवरण भरकर साइन किए जाएंगे, उन्हें सीपीपी पोर्टल से डाउनलोड किया जाएगा, विवरण भरी जाएंगी, साइन किए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। वेंडर्स को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'अटैच डॉक' बटन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एक से ज़्यादा दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। निविदा का पार्ट-I एनआईटी में बताई गई तारीख को खोला जाएगा। पार्ट-II बाद की तारीख और समय पर खोला जाएगा, जिसकी जानकारी उन बिडर्स को दी जाएगी जो निविदा के पार्ट-I में सफलतापूर्वक क्वालिफाई करते हैं। डिटेल इवैल्यूएशन मानक सेक्शन-III (ए) में दिए गए हैं।

5. सीपीपीपी पर ई-निविदा: ई-टेंडरिंग का प्रोसेस परिशिष्ट-7 में डिटेल में दिया गया है। काम पूरा होने का समय और अनुमानित लागत भाग-I में बताई गई है।

6. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदा को, पूरे या कुछ हिस्से में, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। बैंक किसी भी फर्म का निविदा स्वीकार करने का भी अधिकार रखता है। निविदा देने वालों से अनुरोध है कि वे यूनिट रेट और रकम अलग-अलग बताएं। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे सिर्फ़ साथ में दिया गया प्रोफ़ॉर्मा इस्तेमाल करें (और अपना खुद का फ़ॉर्मेट इस्तेमाल न करें)।

7. निविदा, निविदा के पार्ट-I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए लागू होंगे।

8. निविदा फॉर्म अंग्रेज़ी या हिंदी में भरा जाएगा। निविदा का मूल वर्ज़न अंग्रेज़ी में है।

9. कोट किए गए रेट जीएसटी के बिना होंगे और इसमें सभी मटीरियल, लेबर, ड्यूटी और जीएसटी के अलावा दूसरे चार्ज, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, इंश्योरेंस, टूल्स, इक्विपमेंट, स्कैफोल्डिंग, एक्सेसरीज़, और साइट पर काम पूरा करने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए ज़रूरी सभी अचानक होने वाले खर्च शामिल होंगे। जीएसटी को तय प्राइस बिड और इनवॉइस में अलग से दिखाया जाएगा। कोट किए गए रेट, जीएसटी के बिना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान एक जैसे रहेंगे और मटीरियल की कीमतों, लेबर चार्ज, फॉरेन एक्सचेंज रेट या दूसरे इनपुट कॉस्ट में बदलाव की वजह से उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जीएसटी लागू कानूनी रेट पर देना होगा ।

10. काम के दायरे में बताया गया पूरा काम, बैंक से कार्य आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन से 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।

11. डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि (डीएलपी): पूरा काम लगभग पूरा होने की तारीख से एक साल के समय के लिए सभी तरह के डिफेक्ट्स के खिलाफ गारंटी के साथ होगा। गारंटी अवधि के अंदर काम/ मटीरियल/ सब-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी डिफेक्ट को निविदा देने वाले को बैंक को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के ठीक करना होगा/ बदलना होगा।

12. निविदा के हिस्से के तौर पर कोई ईएमडी जमा नहीं करना है।

13. सफल बोलीदाता को अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एक प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करना होगा, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में एक अनुसूचित बैंक द्वारा, आशय पत्र / कार्य के पुरस्कार के 7 दिनों के भीतर, अनुबंध संबंधी दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए जारी की जाएगी (प्रारूप अनुलग्नक-5 में दिया गया है)। पीबीजी के बदले में, ठेकेदार ऑनलाइन मोड (एनईएफ़टी / आरटीजीएस) के माध्यम से समतुल्य राशि जमा कर सकता है। पीबीजी जमा करने में देरी के मामले में, देरी की अवधि के लिए बैंक दर पर शुल्क ठेकेदार के बिलों से वसूला जाएगा। जहां सफल बोलीदाता पीबीजी के बदले में एनईएफ़टी / आरटीजीएस के माध्यम से समतुल्य राशि जमा करता है, लेनदेन संख्या के साथ धन प्रेषण का प्रमाण कार्य के पुरस्कार के बाद और ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को प्रस्तुत करना होगा। प्रारंभिक पीबीजी अनुबंध की अवधि + 60 दिन के लिए वैध रहेगा।

14. शर्तें : कॉन्ट्रैक्ट के तहत कानूनी कटौती और रिकवरी के अधीन, पेमेंट की ये शर्तें लागू होंगी:

 a. किए गए काम की प्रमाणित कीमत का 95% पेमेंट, काम पूरा होने, टेस्टिंग, कमीशनिंग और पूरा काम बैंक को सौंपने के बाद, बिल, जॉइंट मेज़रमेंट और तय कंप्लीशन डॉक्यूमेंट जमा करने पर किया जाएगा।

 b. बाकी 5% रिटेंशन मनी डिपॉजिट के तौर पर रखा जाएगा और डिफेक्ट्स लायबिलिटी अवधि के ठीक से पूरा होने और उसके तहत बताए गए सभी डिफेक्ट्स को ठीक करने के बाद, अगर कोई रिकवरी होती है, तो उसे जारी कर दिया जाएगा।

15. काम का पेमेंट उस ऑफिस से किया जाएगा जहां काम पूरा होकर सौंपा गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले झगड़े एग्रीमेंट के आर्टिकल्स में दिए गए अधिकार क्षेत्र के नियमों के तहत होंगे। सारा पेमेंट आईएनआर में किया जाएगा।

16. ठेकेदार को निविदा के साथ काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की सभी टेक्निकल विवरण / स्पेसिफिकेशन में कोई भी बदलाव जमा करना होगा। अगर वे कोई और जानकारी / विवरण जमा करना चाहते हैं, तो वे उसे निविदा के पार्ट-I के साथ एक अलग शीट पर परिशिष्ट-4 में दिए गए फॉर्म में दे सकते हैं।

17. निविदा देने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे कॉन्ट्रैक्ट के सेवा शर्तें के साथ दिया गया प्रोफ़ॉर्मा भरें। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ़ "हां" या "न" बताकर कन्फ़र्म करें कि वे बैंक के सेवा शर्तें से सहमत हैं या नहीं। अगर "न" है, तो ही वे अपने बताए गए डेविएशन को सही कॉलम में लिस्ट करेंगे।

18. नॉन-डिस्क्लोजर क्लॉज: ठेकेदार सीधे या परोक्ष रूप में बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/ सिस्टम/ इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और विवरण, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय इसे पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट की विवरण को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। ठेकेदार एम्प्लॉयर

की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी विवरण पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के डिस्क्लोजर के कारण एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और एम्प्लॉयर नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

19. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:

 a. ठेकेदार "वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के कैंपस में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

 b. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।

 c. अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

 d. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

 e. ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

20. कोटेशन जमा करने से पहले, फर्म को साइट पर जाना चाहिए और साइट की कंडीशन के बारे में जान लेना चाहिए।

21. ठेकेदार को काम शुरू करने / सामान खरीदने से पहले, बैंक की मंज़ूरी के लिए काम में इस्तेमाल होने वाले सामान के सैंपल दिखाने होंगे।

22. यह काम साइट पर चल रहे सिविल कामों के साथ मिलकर किया जाएगा। काम आसानी से हो, इसके लिए ठेकेदार को काम शुरू होने से पहले एक डिटेल्ड कार्य शेड्यूल जमा करना होगा।

23. निविदा पर सिर्फ़ उन ठेकेदार की लिस्ट से विचार किया जाएगा जिन्हें बैंक ने संबंधित ट्रेड में पैनल में शामिल किया है।

24. लोगों और प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस: ठेकेदार लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो उसके या किसी नामित सब-ठेकेदार या दोनों में से किसी के भी कर्मचारी के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से जुड़े किसी भी दूसरे क्लॉज़ से हुआ हो। इस क्लॉज़ में दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग्स को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वे आस-पास हों या कहीं और, और सड़क, गलियों, फुटपाथ, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आने वाली बिल्डिंग्स और कामों

को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुआ नुकसान शामिल माना जाएगा। ठेकेदार एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा और ऊपर बताई गई किसी भी चोट या नुकसान से होने वाले सभी खर्चों के लिए उसे नुकसान से बचाएगा, साथ ही किसी भी लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के तहत चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी क्लेम के संबंध में या ऐसे क्लेम के परिणामस्वरूप किसी भी अवॉर्ड या कंपनसेशन या नुकसान के संबंध में भी।

25. ठेकेदार इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि कॉन्ट्रैक्ट का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से पूरा हो सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई हो सके या उन्हें पूरा किया जा सके। ठेकेदार को थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कवर करने वाली एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी ताकि इंसान की जान (ठेकेदार से जुड़े नहीं लोग) को होने वाले नुकसान/विकलांगता को कवर किया जा सके। इसमें साइट पर कॉन्ट्रैक्ट के काम के कंस्ट्रक्शन/इरेक्शन/कमीशनिंग के दौरान दूसरों के सामान/इक्विपमेंट/प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान का रिस्क भी कवर होगा, जिसमें अगर कोई बैंक भी शामिल है, तो वह भी शामिल है। इंसान की जान के नुकसान या पूरी/आंशिक विकलांगता के लिए मुआवज़े के लिए थर्ड-पार्टी देयता की वैल्यू, पूरी और आंशिक विकलांगता के लिए ज़रूरी कानूनी वैल्यू होगी और फिर भी इसमें कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवज़े को कवर किया जाएगा। दूसरों के इक्विपमेंट/प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का कवर बैंक द्वारा मंज़ूर किया जाएगा। ठेकेदार के सब-ठेकेदार पॉलिसी में होल्डर या बेनिफिशियरी नहीं होंगे, न ही उनका नाम पॉलिसी में होगा। बैंक, ठेकेदार के साथ पॉलिसी का प्रिंसिपल होल्डर होगा। बैंक के पास पॉलिसी असाइन करने का एक्सक्लूसिव अधिकार है।

26. ठेकेदार, एम्प्लॉयर को उन सभी दावों से बचाएगा जो एम्प्लॉयर के खिलाफ किए जा सकते हैं, चाहे वह आम आदमी हो या कोई और थर्ड पार्टी, काम के संबंध में या उसके नतीजों में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए। और अपने खर्चे पर, कॉन्ट्रैक्ट के लगभग पूरा होने तक, एक अप्रूव्ड ऑफिस में एम्प्लॉयर और ठेकेदार के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा। ठेकेदार भी इसी तरह, एम्प्लॉयर को उन सभी दावों से बचाएगा जो एम्प्लॉयर पर किए जा सकते हैं, चाहे वह वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के तहत हो या इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान लागू किसी और स्टेटस के तहत हो या ठेकेदार के किसी कर्मचारी या किसी सब-ठेकेदार के संबंध में कॉमन लॉ के तहत हो। और अपने खर्चे पर, एम्प्लॉयर और ठेकेदार के जॉइंट नाम से ऐसे रिस्क के लिए लागू करेगा और बनाए रखेगा और कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा।

27. ठेकेदार ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसियों से होने वाली किसी भी देयता के लिए ज़िम्मेदार होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांज़िट, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी को लापरवाही से या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। वह किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले किसी भी खर्च, चार्ज या लागत के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना भी देगा और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के लिए भी हर्जाना देगा।

28. एम्प्लॉयर को किसी भी नुकसान, मुआवज़े, लागत, चार्ज और खर्च की रकम को, जो ऐसे किसी भी दावे या नुकसान से या उसके संबंध में हो, ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी या सभी रकम में से काटने का अधिकार होगा, बिना एम्प्लॉयर के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले। **ठेकेदार अपने खर्च पर, एम्प्लॉयर (भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची) और खुद के जॉइंट नाम पर, जिसमें एम्प्लॉयर पहले (प्रिंसिपल) होगा, नीचे दी गई इंश्योरेंस पॉलिसी को एक मंज़ूर ऑफिस से लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा** :

a. ठेकेदार की ऑल रिस्क पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रकम के लिए आग, भूकंप, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है।

b. कामगार मुआवज़ा नीति

c. थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी की लिमिट इस तरह है: कॉन्ट्रैक्ट अवधि के लिए ₹ 10,00,000 / - और हर घटना के लिए ₹2,00,000/ -

29. ठेकेदार, काम शुरू होने की तारीख से, अपने खर्च पर काम का इंश्योरेंस कराएगा और काम के लगभग पूरा होने तक, एम्प्लॉयर (भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची) और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से एक ऑफिस में आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रकम के लिए इंश्योरेंस रखेगा। ठेकेदार काम शुरू होने से पहले पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें एम्प्लॉयर के पास जमा करेगा। अगर ठेकेदार ऊपर बताए गए तरीके से इंश्योरेंस नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर काम का इंश्योरेंस कर सकता है और पेमेंट किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, बिना इस तरह की गलती के संबंध में एम्प्लॉयर के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले। अगर काम को रोकना ज़रूरी हो जाता है, तो ठेकेदार जैसे ही पॉलिसी के तहत क्लेम सेटल हो जाता है, या इंश्योरेंस ऑफिस द्वारा काम फिर से शुरू कर दिया जाता है, अगर वे ऐसा करना चुनते हैं, तो काम को पूरी सावधानी से उसी तरह पूरा करेगा जैसे आग नहीं लगी थी और सभी मामलों में कॉन्ट्रैक्ट की उन्हीं शर्तों के तहत। आग लगने के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए जितना सही लगे, उतना समय बढ़ाने का हक होगा।

30. डिबारमेंट/ कोर्ट केस:

a. अगर बोली लगाने वाले को किसी अपराध का दोषी पाया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान पहुँचाने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पहुँचाने के लिए। इस बारे में, बोली लगाने वाले को अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग/ घोषणा/ सर्टिफिकेट की एक कॉपी जमा करनी होगी, जिस पर ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी की सील और साइन हो।

b. बोली लगाने वाले को किसी भी पब्लिक संस्था द्वारा डिबारमेंट का घोषणा परिशिष्ट-1 में दिए गए फॉर्मेट में जमा करना होगा।

31. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदारों पर नियमों का अनुपालन: सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से सम्मिलित जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन, इसके अतिरिक्त जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटर हेड पर वचन/ घोषणा/ प्रमाणपत्र की एक प्रति अनुलग्नक-9 में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित प्रस्तुत करेंगे। अगर बिडर का दिया गया अंडरटेकिंग/ घोषणा/ प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो उसका निविदा / कार्य आदेश तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, और कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी/ सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करना शामिल है, और बैंक बिडर को भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए निविदा में हिस्सा लेने से भी रोक सकता है।

32. इंश्योरेंस का समय काम के पूरे समय के लिए लागू होना चाहिए और अगर ठेकेदार की वजह से किसी भी वजह से काम में देरी होती है, तो पॉलिसी को ठेकेदार को अपने खर्च पर बढ़ाना होगा। अगर ठेकेदार देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, तब भी पॉलिसी को ठेकेदार को बढ़ाना होगा, लेकिन इसका खर्च बैंक उठाएगा।

ठेकेदार का हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

खंड-III (ए)

मूल्यांकन के मानदंड

निविदा का मूल्यांकन: L1 आधार

1. टेंडर्स का मूल्यांकन पहला ई-कवर यानी पार्ट I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) खोलने के बाद सेक्शन-III (A) में बताए गए योग्यता मानक के आधार पर किया जाएगा।

2. बिडर्स को निविदा दस्तावेज़ में बताए गए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले ई-कवर यानी पार्ट I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) में जमा करने होंगे। सिर्फ़ वही निविदा आगे प्रोसेस किए जाएँगे, जो योग्यता की ज़रूरतें पूरी करते हैं। दी गई जानकारी और सपोर्टिंग दस्तावेज़ के सही होने/कानूनी होने और काफी होने की जाँच बैंक करेगा/जाँचेगा। अगर अपलोड किए गए निविदा में कोई दस्तावेज़ गायब हैं या नकली पाए जाते हैं, तो बैंक के पास गायब दस्तावेज़/प्रमाणपत्र माँगने और इन सर्टिफिकेट्स को खुद से वेरिफाई करने का अधिकार होगा। बिडर्स को यह भी पक्का करना होगा कि अपलोड की गई सभी फ़ाइलें पढ़ने लायक हों और उनमें कोई खराबी न हो। अगर कोई अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट पढ़ने लायक नहीं है, खराब है, या बैंक को आसानी से नहीं मिल रहा है, तो बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, और वह बिना किसी और सोच-विचार के बिडर्स का कैंडिडेट रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है।

3. जो बिडर्स टेक्निकल योग्यता मानक को पूरा नहीं करेंगे, उनकी जमा की गई प्राइस बिड्स नहीं खोली जाएंगी। उनके डिसक्वालिफिकेशन की जानकारी उन्हें दे दी जाएगी।

4. पार्ट I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) में क्वालिफाई करने वाले सभी बिडर्स का दूसरा ई-कवर यानी पार्ट II (प्राइस बिड) फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए खोला जाएगा।

5. सबसे कम कीमत (L1) वाले बिडर को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए माना जाएगा और उसे सफल बिडर कहा जाएगा। अगर दो या ज़्यादा बिडर की सबसे कम निविदा की गई रकम एक जैसी है, तो ऐसे सबसे कम बिडर से कहा जा सकता है कि वे एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में अपनी पहले से कोट की गई निविदा की गई रकम पर डिस्काउंट देते हुए एक परिशोधित ऑफ़र जमा करें। इसके अलावा, अगर कोई ऐसा सबसे कम बिडर अपनी बोली को कम नहीं करता है, तो उसकी ओरिजिनल बोली आगे की प्रोसेसिंग के लिए लागू रहेगी। सबसे कम निविदा का फ़ैसला परिशोधित ऑफ़र के आधार पर किया जाएगा। अगर परिशोधित ऑफ़र में मिले दो या ज़्यादा बिडर की परिशोधित निविदा की गई रकम फिर से बराबर पाई जाती है, तो आरबीआई आगे की कार्रवाई का फ़ैसला करेगा जो फ़ाइनल होगी और सभी बिडर के लिए ज़रूरी होगी।

खंड- IV

अनुबंध की सामान्य शर्तें

व्याख्या खंड:

a. इन शर्तों, स्पेसिफिकेशन, मात्राओं के शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को बनाते समय, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के हिसाब से कुछ और ज़रूरी हो।

i.	"आरबीआई"	इसका अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई– 400001 में है और जिसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं।
ii.	**"बैंक"**	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइन किए गए और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
iii.	"निविदा दस्तावेज़"	इसका मतलब है बैंक द्वारा ठेकेदार को प्रोजेक्ट के लिए बिड्स इनवाइट करने के लिए जारी किया गया डॉक्यूमेंट।
iv.	"बोलीदाता"	जो बिड/निविदा जमा करता है। यह पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हो सकती है। मरे हुए पार्टनर के लीगल प्रतिनिधि।
v.	"ठेकेदार "	ठेकेदार वह सफल ठेकेदार होता है जिसे काम पूरा करने के लिए ऑफिशियली चुना गया हो। यह पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल फर्म और एक कंपनी हो सकती है। मरे हुए पार्टनर के लीगल प्रतिनिधि।
vi.	"साइट"	इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनी चीज़ें और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो बैंक ने ठेकेदार के काम के लिए दी है।
vii.	"अनुबंध"	इसका मतलब है और इसमें निविदा दस्तावेज़ के सभी सेक्शन, उससे जुड़े लेटर, कार्य आदेश, आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट, सीएएमसी एग्रीमेंट और प्री-बिड के मिनट्स वगैरह शामिल हैं, जो इसके साथ अटैच हैं और सही तरह से साइन किए गए हैं।
viii.	"लिखित सूचना"	या लिखित नोटिस का मतलब है लिखित, टाइप या प्रिंटेड अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो या यह साबित न हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से उस आखिरी जाने-पहचाने प्राइवेट या बिज़नेस पते पर भेजा गया हो, जब पोस्ट के आम तरीके से उसे डिलीवर किया जाता। किसी भी एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा गया कम्युनिकेशन भी लिखित नोटिस माना जाएगा।
ix.	"दिवालियापन अधिनियम"	इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी), 2016 के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे ओरिजिनल को अमेंड करने वाले किसी एक्ट से होगा।

x.	"शुद्ध मूल्य"	सीपीपीपी में निविदा के पार्ट II में बताई गई चीज़ की कीमत।
xi.	"बाज़ार दर"	यह दर बैंक द्वारा उस स्थान पर सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर तय की जाएगी जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, साथ ही सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए खंड 19 (ई) में उल्लिखित प्रतिशतता भी शामिल होगी ।
xii.	" काम "	इसका मतलब एनआईटी में बताए गए निविदा का नाम होगा।
xiii.	दिन / महीना / वर्ष	इसका मतलब कैलेंडर दिन / महीना / साल होगा
xiv.	कार्य दिवस	इसका मतलब है वे दिन जब बैंक का ऑफिस काम कर रहा हो, यानी पब्लिक हॉलिडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर दूसरे दिन
xv.	प्रभारी इंजीनियर / बैंक इंजीनियर / बैंक प्रतिनिधि	इसका मतलब है बैंक द्वारा काम पर रखा गया और पेमेंट किया गया ऑफिसर, जो बैंक के आदेश पर काम करेगा और काम की देखरेख करेगा और उसका इंचार्ज होगा। कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए जाने वाले सभी काम हर तरह से बैंक के प्रतिनिधि के निर्देश और मंज़ूरी के तहत किए जाएंगे।
xvi.	उत्पादक	उस व्यक्ति या फर्म को संदर्भित करता है जो सामग्री का निर्माता और प्रदाता या उपकरणों का डिज़ाइनर और फैब्रिकेटर है
xvii.	ठेकेदार का कार्य या निर्माता का कार्य	इसका अभिप्राय और इसमें शामिल हैं भूमि तथा अन्य स्थान जिसका उपयोग ठेकेदार/निर्माता या उप-ठेकेदार/उप-निर्माता द्वारा "उपकरण" के विनिर्माण या "कार्य" करने के लिए किया जाता है।
xviii.	अनुबंध मूल्य या अनुबंध	रकम का मतलब है सफल ठेकेदार द्वारा बताए गए यूनिट रेट और बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ (प्राइस बिड) में बताई गई मात्रा से कैलकुलेट की गई कुल रकम, जिसे बैंक ने स्वीकार किया है और काम के लेटर ऑफ़ अवार्ड में बताया गया है।
xix.	संविदा अवधि	इसका मतलब निविदा दस्तावेज़ में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने / काम पूरा करने के लिए बताई गई अवधि होगी, जिसमें बैंक द्वारा दी गई कोई भी ज़्यादा अवधि शामिल है।
xx.	ठेका समझौता	इसका मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ठेकेदार और बैंक के बीच साइन किया गया एग्रीमेंट होगा।

2. **<u>अनुबंध का दायरा</u>**

ठेकेदार इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार और बैंक के निर्देशों और संतुष्टि के अनुसार हर तरह से बताया गया काम करेगा और पूरा करेगा। बैंक अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और /या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "बैंक के निर्देश" कहा जाएगा:

i. काम की डिज़ाइन, क्वालिटी या क्वांटिटी में बदलाव या बदलाव या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना।

ii. ड्रॉइंग्स में या बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या ड्रॉइंग्स और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर।

iii. ठेकेदार द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी स्थान कोई दूसरा सामान रखना।

iv. ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।

v. इसके बाद ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी भी व्यक्ति को काम से निकाल दिया जाएगा।

vi. किसी भी छिपे हुए काम के इंस्पेक्शन के लिए खोलना।

vii. इसके क्लॉज़ 21 के तहत किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार को बैंक के निर्देशों में शामिल किसी भी काम को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा। बैंक द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को काम के बारे में दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो ठेकेदार को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, और अगर बैंक अगले सात दिनों के अंदर लिखकर इससे सहमत नहीं होता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में बैंक के निर्देश माना जाएगा। जहां संदर्भ की ज़रूरत हो, वहां सिर्फ़ एकवचन का मतलब बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसका उल्टा भी। जब भी ज़रूरी हो, मर्दाना लिंग के किसी भी संदर्भ में स्त्री लिंग भी शामिल होगा और इसका उल्टा भी।

ज़रूरी " साइट इंस्ट्रक्शन बुक, रुकावट रजिस्टर, लेबर रजिस्टर " को **ठेकेदार** रोज़ाना सख्ती से मेंटेन करता है और बैंक से सही तरह से ऑथेंटिकेशन मिला ।

3. **<u>बदलाव बैंक से मंज़ूर होंगे</u>**

काम के दायरे में सभी बदलावों को बैंक के इंजीनियर से मंज़ूरी लेनी होगी। ठेकेदार को एक स्टेटमेंट ऑफ़ वेरिएशन जमा करना होगा जिसमें मात्रा और रेट्स दिए गए हों, और साथ में रेट्स, वाउचर वगैरह का एनालिसिस भी हो। बैंक द्वारा जांच और फाइनल मंज़ूरी के बाद रेट्स एक सप्लीमेंट्री निविदा बनेंगे। जब तक बैंक के इंजीनियर इन स्टेटमेंट्स को मंज़ूरी नहीं दे देते, तब तक बैंक ऐसे बदलावों के पेमेंट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

4. **<u>ड्रॉइंग, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और एग्रीमेंट</u>**

कॉन्ट्रैक्ट दो कॉपी में पूरा किया जाएगा, और ठेकेदार को अपने इस्तेमाल के लिए एक पूरी कॉपी मिलेगी। ठेकेदार को एग्रीमेंट पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। ठेकेदार को फाइनल प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक को सभी ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन वापस करने होंगे।

5. <u>ठेकेदार **को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी**</u>

ठेकेदार अपने खर्च पर, ड्रॉइंग्स, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के इरादे और मतलब के हिसाब से काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, चाहे उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उससे उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर ठेकेदार को ड्रॉइंग्स में या ड्रॉइंग्स, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए। ठेकेदार इस स्पेसिफिकेशन के तहत सभी काम हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के पूरे हिसाब से करेगा।

6. प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट

ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों और उसके किसी भी अन्य पहलू जैसे कि विभिन्न श्रम संहिताओं के अनुपालन और किसी भी प्राधिकरण के नियम और उपनियमों और बिजली आपूर्ति और अन्य कंपनियों और /या प्राधिकरणों के नियमों का पालन करेगा, जिनके सिस्टम के साथ स्थापना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है और चित्र या विनिर्देशों से कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो ऐसा अनुरूप होने से आवश्यक हो सकता है, बैंक को लिखित नोटिस देगा, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और इसे करने का कारण निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन किया जाएगा। यदि ठेकेदार को **दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते** हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, नियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी बदलाव से उसके खंड संख्या 14 के तहत निपटा जाएगा।

ठेकेदार को बैंक को उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो इन एक्ट, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने हैं और उस अथॉरिटी या किसी भी पब्लिक ऑफिस को काम के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी, और पेमेंट के लिए रसीदें बैंक में जमा करनी होंगी।

ठेकेदार बैंक को अधिकारों से जुड़े सभी दावों से हर्जाना देगा, और दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा, और इसके संबंध में कानूनी तौर पर लगने वाली सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नुकसान, लागत और हर तरह के चार्ज खुद देगा।

7. काम से निकलना

ठेकेदार काम की रूपरेखा तैयार करेगा और उसे सही और परफेक्ट तरीके से तैयार करने और उसके सभी हिस्सों की पोजीशन, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट की सही स्थिति का ध्यान रखेगा। अगर काम पूरा होने के 12 महीने के अंदर काम के दौरान कभी भी इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो ठेकेदार, अगर ज़रूरी हो, तो अपने खर्च पर, बैंक की संतुष्टि के लिए उस गलती को ठीक करेगा।

8. विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी

सभी मटीरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और /या स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और बैंक के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और ठेकेदार बैंक के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट्स की रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटीरियल उसके हिसाब से है। ठेकेदार अपने खर्च पर बैंक को बताए गए किसी भी मटीरियल का टेस्ट करवाएगा और/या करवाएगा।

9. काम पर ठेकेदार का सुपरिंटेंडेंस और प्रतिनिधि

ठेकेदार काम के दौरान और उसके बाद जब तक बैंक ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरिंटेंडेंस देगा, जब तक कि परिशिष्ट में बताया गया " **डिफेक्ट्स देयता अवधि** " खत्म नहीं हो जाता। ठेकेदार पूरे समय, जब काम चल रहा हो, एक काबिल प्रतिनिधि को भी काम पर रखेगा जो काम पर लोगों के रहने के दौरान लगातार मौजूद रहेगा। बैंक द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन या नोटिस ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

10. कामगारों की बर्खास्तगी

ठेकेदार, बैंक के कहने पर, अपने यहां काम पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो बैंक की राय में नाकाबिल हो या उसने खुद कोई गलत काम किया हो और ऐसे लोगों को बैंक की इजाज़त के बिना दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा।

11. कार्यों तक पहुंच

बैंक और उनके प्रतिनिधियों को काम और /या वर्कशॉप, फैक्ट्री, या दूसरी जगहों पर हर सही समय पर फ्री एक्सेस होगा, जहाँ सामान पड़ा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और ठेकेदार बैंक और उनके प्रतिनिधियों को सामान और काम के इंस्पेक्शन, जांच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। पब्लिक अथॉरिटी के प्रतिनिधियों को छोड़कर, बैंक द्वारा ऑथराइज़्ड न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय काम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

12. बैंक का प्रतिनिधि: सहायक प्रबंधक (टेक)/ प्रबंधक (टेक)/ एजीएम (टेक)

"सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी)/ एजीएम (तकनीकी)" शब्द का अर्थ बैंक द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति है, ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/ प्रबंधक (तकनीकी) / एजीएम (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जांच करने और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / एजीएम (तकनीकी) के पास कार्यों को निर्धारित करने या अनुबंध की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि जहां तक ऐसा अधिकार बैंक की लिखित पूर्व सहमति के साथ लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता है।

सहायक प्रबंधक(टेक)/ प्रबंधक (टेक)/ एजीएम (टेक) या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी काम या मटीरियल को मंज़ूरी न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा काम सहायक प्रबंधक(टेक)/ प्रबंधक (टेक) द्वारा रोक दिया जाएगा या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को काम के किसी भी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाई गई किसी भी कमी को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी। इंजीनियर-इन-चार्ज शब्द का मतलब है प्रबंधक(टेक) या एजीएम(टेक) जो बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं।

13. असाइनमेंट और सब-लेटिंग

कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी काम ठेकेदार ही करेगा और ठेकेदार बैंक की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना कॉन्ट्रैक्ट या उसका कोई हिस्सा या उसमें कोई हिस्सा सीधे या इनडायरेक्टली ट्रांसफर, असाइन या अंडर-लेट नहीं करेगा, और कोई भी अंडरटेकिंग ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट की पूरी और पूरी ज़िम्मेदारी से या काम के चलने के दौरान उसकी एक्टिव सुपरिंटेंडेंस से राहत नहीं देगी।

14. **<u>परिवर्तन, परिवर्धन, लोप इत्यादि।</u>**

कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करना या इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और अपने हस्ताक्षर से ठेकेदार को लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार बैंक की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कार्य में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक या अनुबंध, शर्त, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन या चूक का मूल्य सभी मामलों में खंड 19 के प्रावधानों के अनुसार बैंक की लिखित में पूर्व स्वीकृति के साथ निर्धारित किया जाएगा,

15. **<u>मात्राओं का बिल</u>**

बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़, जब तक कुछ और न कहा गया हो, मानक मेथड ऑफ़ मेज़रमेंट के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।

बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में आइटम के डिस्क्रिप्शन या क्वांटिटी में कोई गलती या आइटम के छूट जाने से यह कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और क्लॉज़ 18 के तहत पता लगाई गई उसकी वैल्यू को कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), लेकिन अगर कोई गलती हुई है, तो उसे ठेकेदार के रेट्स के शेड्यूल में ठीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

16. **<u>मात्रा के बिल की पर्याप्तता</u>**

माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले काम के लिए अपने निविदा की सही और काफ़ी होने और बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और /या रेट्स और प्राइस के शेड्यूल में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये रेट्स और कीमतें कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों, और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी।

17. **<u>कार्यों का मापन</u>**

सहायक प्रबंधक (टेक) / प्रबंधक (टेक) समय-समय पर ठेकेदार और बैंक को बता सकते हैं कि उन्हें काम का माप चाहिए, और ठेकेदार तुरंत मौजूद रहेंगे या सहायक प्रबंधक (टेक)/ प्रबंधक (टेक) की मदद करने के लिए एक काबिल एजेंट भेजेंगे ताकि ऐसे माप और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी विवरण दी जा सकें या उनमें से किसी को भी ज़रूरी मदद दी जा सके।

अगर ठेकेदार काम पर नहीं आता है या एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या उसे भेजना भूल जाता है, तो सहायक प्रबंधक (टेक)/ प्रबंधक (टेक) का लिया गया मेज़रमेंट ही काम का सही मेज़रमेंट माना जाएगा । ऐसे मेज़रमेंट स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए मेज़रमेंट के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट, मेज़रमेंट के समय ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और मेज़रमेंट ले सकता है।

सभी ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा काम, कमियां और बैंक की पहले से लिखकर मंज़ूरी लेकर किए गए सभी बदलाव ऐसे मेज़रमेंट में शामिल किए जाएंगे।

18. **माप पुस्तिका**

a. बैंक, जब तक कुछ और न कहा गया हो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किए गए काम की कीमत का पता लगाएगा और मापकर तय करेगा। ठेकेदार, बैंक के प्रोसीजर के मुताबिक, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, माप और लेवल रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी हर अप्लायंस, लेबर और दूसरी चीज़ों में पूरी मदद देगा।

b. फाइनेंशियल वैल्यू वाले सभी आइटम का मेज़रमेंट बैंक के इंजीनियर द्वारा बैंक की मेज़रमेंट बुक (एमबी) में तीन कॉपी में दर्ज किया जाएगा ताकि बैंक और ठेकेदार के ऑथराइज़्ड प्रतिनिधि के जॉइंट मेज़रमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट के तहत किए गए सभी कामों का पूरा रिकॉर्ड मिल सके। सभी बिल (रनिंग अकाउंट (आरए, अगर लागू हो) और फाइनल बिल) एमबी में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। उस पर ठेकेदार के ऑथराइज़्ड अधिकारी के तारीख के साथ पूरे साइन होने चाहिए। मेज़रमेंट की बैंक के असिस्टेंट मैनेजर द्वारा सही जांच / मेज़रमेंट का टेस्ट चेक किया जाएगा। (तकनीक) / प्रबंधक (तकनीकी)।

19. **<u>एक्स्ट्रा के लिए कीमतों का पता लगाना</u>**

ठेकेदार, बैंक से मंज़ूरी मिलने पर, ड्रॉइंग में दिखाए गए, या स्पेसिफिकेशन में बताए गए, या बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है, या कुछ बदल सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे ऑथराइज़ेशन या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, कुछ नहीं हटाएगा या कुछ नहीं बदलेगा। बैंक द्वारा दिया गया कोई भी ज़ुबानी अधिकार या निर्देश लिखित में दिया गया माना जाएगा, बशर्ते बैंक ऐसे निर्देश /निर्देश जारी होने के सात (7) दिनों के अंदर लिखित में इसकी पुष्टि कर दे।

किसी भी एक्स्ट्रा काम के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह बैंक की मंज़ूरी से क्लॉज़ 2 के प्रोविज़न के तहत न किया गया हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ऐसे किसी भी एक्स्ट्रा काम को यहाँ ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा कहा गया है और इसे नीचे दिए गए प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।

i. a. मूल निविदा में नेट रेट या कीमतों से एक्स्ट्रा काम की वैल्यूएशन तय होगी, अगर ऐसा एक्स्ट्रा काम उसी तरह का है और उसी तरह की कंडीशन में किया गया है, जैसा कि उसमें बताए गए काम की कीमत है, और क्वांटिटी में 25% की बढ़ोतरी तक।

b. सभी चीज़ों के रेट, जहाँ तक हो सके, प्राइस्ड बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में दिए गए रेट से निकाले जाने चाहिए।

ii. मूल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की वैल्यू तय होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ को छोड़ने से उन शर्तों में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का वैल्यूएशन इसके सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।

iii. जहां एक्स्ट्रा काम पहले बताए गए तरीके से मिलते-जुलते नहीं हैं और/या वैसी ही शर्तों के तहत किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम, पूरे कॉन्ट्रैक्ट काम या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले ऐसी हो कि बैंक की राय में, प्राइस्ड बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ या निविदा में या काम के किसी आइटम के लिए नेट रेट या कीमत में ठेकेदार द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल हो या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू न हो, तो बैंक ऐसी दूसरी रेट या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

iv. जहां एक्स्ट्रा काम को ठीक से मापा या वैल्यू नहीं किया जा सकता, वहां ठेकेदार को लोकल डे कार्य रेट और जिले की मज़दूरी के हिसाब से नेट रेट पर डे कार्य प्राइस दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ही मामलों में, रोज़ाना लगने वाले समय और इस्तेमाल हुए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, काम पूरा होने के बाद वाले हफ़्ते के आखिर तक या उससे पहले बैंक को वेरिफ़िकेशन के लिए दिए जाएं।

v. यह भी साफ़ किया जाता है कि ऐसे सभी ऑथराइज़्ड एक्स्ट्रा आइटम के लिए, जहाँ रेट निविदा से नहीं निकाले जा सकते या किसी भी निविदा आइटम की क्वांटिटी बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ से 25% ज़्यादा हो जाती है, ठेकेदार को "एक्चुअल कॉस्ट बेसिस" पर किए गए रेट एनालिसिस के आधार पर रेट तय करने होंगे, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, ठेकेदार के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% जोड़ना होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।

कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताए गए "फाइनल माप के समय" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है तो क्लॉज 23 में बताए गए कॉन्ट्रैक्ट के काम के पूरा होने के छह महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।

20. अनफिक्स्ड मटेरियल जब बैंक की प्रॉपर्टी मानी जाती है

काम की स्थान पर या उसके आस-पास रखे बिना ठीक किए गए सामान की कीमत वाले प्रमाणपत्र का पूरा पेमेंट करने पर, उन सामान का मालिकाना हक पूरी तरह से बैंक के पास चला जाता है। ठेकेदार इन सामान को साइट से तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि बैंक लिखकर इजाज़त न दे, सिवाय काम में सीधे इस्तेमाल के लिए। ठेकेदार किसी भी वजह से ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कानूनी और फाइनेंशियल रूप से ज़िम्मेदार होगा।

21. अनुचित कार्य को हटाना

काम के दौरान, बैंक को समय-समय पर लिखकर आदेश देने का अधिकार होगा कि आदेश में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम से ऐसे किसी भी सामान को हटा दिया जाए जो बैंक की राय में बैंक के स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, सही सामान लगाया जाए, और ऐसे किसी भी काम को हटाया जाए और ठीक से दोबारा किया जाए जो ड्रॉइंग्स और स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, और ठेकेदार तुरंत अपने खर्चे पर ऐसे आदेश को पूरा करेगा। अगर ठेकेदार ऐसे आदेश को पूरा करने में चूक करता है, तो बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखने और उन्हें पैसे देने का अधिकार होगा, और इसके बाद या उससे जुड़े सभी खर्च ठेकेदार उठाएगा, या बैंक ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या जो मिलने वाला हो सकता है।

22. वर्चुअल कंप्लीशन के बाद डिफेक्ट्स

कोई भी डिफेक्ट, सिकुड़न, जमाव, या दूसरी कमियां जो परिशिष्ट में बताए गए "डिफेक्ट्स देयता अवधि" के अंदर दिख सकती हैं, अगर कुछ नहीं बताया गया है, **तो काम लगभग पूरा होने के 12 महीने के अंदर** , जो बैंक की राय में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं बने मटीरियल या कारीगरी की वजह से होती हैं, उन्हें बैंक के लिखे हुए निर्देशों पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, ठेकेदार अपने खर्च पर ठीक करेगा और ठीक करेगा।

अगर कोई गलती होती है, तो बैंक ऐसे डिफेक्ट, दूसरी गलतियों को ठीक करने और उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण या उससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्च की भरपाई ठेकेदार करेगा और उसे वहन करना होगा। ऐसे नुकसान, हानि और खर्च की भरपाई

बैंक उससे करेगा या बैंक ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या बैंक ठेकेदार द्वारा ऐसे बदलाव और उन्हें ठीक करने के बदले में, ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से, बैंक द्वारा तय की गई रकम, ऐसे काम को ठीक करने की लागत के बराबर काट सकता है और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखी गई रकम काफी नहीं है, तो बाकी रकम ठेकेदार से वसूल करेगा, साथ ही बैंक ने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी। अगर किसी सब-ठेकेदार ने, जिसे बैंक ने क्लॉज़ 13 और 24 के अनुसार नामित या अप्रूव किया है, कोई खराब काम किया है या सामान सप्लाई किया है, तो ठेकेदार को उसे ठीक करना होगा, जैसे कि वह काम या सामान ठेकेदार ने किया हो या सप्लाई किया हो और वह इस क्लॉज़ और क्लॉज़ 2 के नियमों के तहत आता हो। बैंक द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर साइन करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, ठेकेदार इस क्लॉज़ के नियमों के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

23. वर्चुअल कंप्लीशन का प्रमाणपत्र और डिफेक्ट्स देयता अवधि

जब तक बैंक लिखकर यह प्रमाणित नहीं कर देता कि काम लगभग पूरा हो गया है, तब तक काम को पूरा नहीं माना जाएगा। डिफेक्ट्स देयता अवधि ऐसे सर्टिफ़िकेट की तारीख / काम पूरा होने की तारीख से शुरू होगा।

24. नामित उप-ठेकेदार

सभी स्पेशलिस्ट, मर्चेंट, ट्रेड्समैन, और दूसरे लोग जो किसी भी सामान की सप्लाई और फिक्सिंग का काम करते हैं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट प्राइस या प्रोविजनल रकम बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या स्पेसिफिकेशन्स में शामिल होती है, जिन्हें बैंक नामित या चुन सकता है, उन्हें ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और उन्हें यहाँ नामित उप-ठेकेदार कहा गया है।

ऐसे किसी भी नामित उप-ठेकेदार को काम पर या काम के सिलसिले में काम पर नहीं रखा जाएगा, जिसके खिलाफ ठेकेदार को सही एतराज़ हो या (सिवाय इसके कि बैंक और ठेकेदार किसी और तरह से सहमत हों) जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होगा, बशर्ते कि

i. नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारी के लिए ठेकेदार को हर्जाना देंगे, जैसा कि ठेकेदार इस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में है।

ii. यह कि नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार, उसके नौकरों या एजेंट की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी मचान या दूसरे प्लांट, ठेकेदार की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ ठेकेदार को हर्जाना देगा।

iii. नामित उप-ठेकेदार को पेमेंट चौदह दिनों के अंदर करना होगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्र में शामिल नामित उप-ठेकेदार के सभी अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हों, ऐसा न करने पर, बैंक पेमेंट कर सकता है और ठेकेदार को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से बैंक और उप-ठेकेदार के बीच कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी नहीं बनेगी।

25. बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए एस्टेट और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करने का अधिकार रखता है, जिसे वह किसी और से करवाना चाहता है, और ठेकेदार ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन उसे ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की

ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और ठेकेदार ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

26. <u>व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा</u>

ठेकेदार अपने खर्च पर, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम शुरू होने की तारीख से लेकर कंप्लीशन प्रमाणपत्र जारी होने तक, एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट की रकम के बराबर रकम के लिए, जिसमें भूकंप का खतरा भी शामिल है, बैंक और ठेकेदार के जॉइंट नाम पर एक ऑल रिस्क पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा। यह पॉलिसी कॉन्ट्रैक्टरों के लिए मानक ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी रिस्क के लिए होगी (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा)। और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा।

ठेकेदार को लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो ठेकेदार या उसके वर्कर या किसी नामित उप-ठेकेदार या किसी कर्मचारी या दोनों के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट, या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से जुड़ी किसी भी दूसरी वजह से हुआ हो। इस क्लॉज़ के तहत ज़िम्मेदारी में दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वह उसके ठीक बगल में हो या कहीं और, और सड़कों, गलियों, फुटपाथ, पुलों, या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही बिल्डिंग और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुआ कोई भी नुकसान शामिल होगा। ठेकेदार बिल्डिंग और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को पाले, बारिश, हवा, या मौसम की दूसरी खराब हालत से हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्च के संबंध में और किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में उसे हानिरहित रखेगा।

ठेकेदार इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि कॉन्ट्रैक्ट का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से किया जा सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके। ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों के लिए भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो किसी भी व्यक्ति /आम आदमी या किसी दूसरे थर्ड पार्टी द्वारा बैंक के खिलाफ काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में किए जा सकते हैं। और अपने खर्च पर, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से लेकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक, एक अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा । पॉलिसी के तहत कवरेज की मिनिमम लिमिट कॉन्ट्रैक्ट की जनरल कंडीशन में कहीं और बताई गई होगी। ठेकेदार इसी तरह बैंक को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा जो बैंक पर वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट या इस कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत या ठेकेदार के किसी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में कॉमन लॉ के तहत किए जा सकते हैं। और वह अपने खर्चे पर, कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने की तारीख से लेकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक, एक मंज़ूर इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और ठेकेदार के जॉइंट नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएगा (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) और कॉन्ट्रैक्ट के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा करेगा। अगर ठेकेदार ऊपर बताए गए तरीके से पक्का नहीं करता है, तो बैंक ऐसा पक्का कर सकता है और पेमेंट किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है।

ठेकेदार किसी भी ऐसी देयता के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसियों से बाहर हो सकती है और इस कॉन्ट्रैक्ट को लापरवाही या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को हुए सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो। वह काम से जुड़े किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले सभी और किसी भी कॉस्ट, चार्ज या खर्च के लिए और उससे होने वाले किसी भी कम्पनसेशन या डैमेज के अवार्ड के लिए भी बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा। ऐसे डिफॉल्ट के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ बैंक के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देने वाली किसी भी रकम में से बैंक द्वारा दिए गए किसी भी डैमेज, कम्पनसेशन, कॉस्ट, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज के तहत ठेकेदार को देने हैं। इस क्लॉज के तहत ली गई पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ किए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट के बाद, ठेकेदार पूरी सावधानी के साथ नष्ट या डैमेज हुए कामों को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मामले में, ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मिला सारा पैसा ठेकेदार को दिया जाएगा और ठेकेदार, खराब हुए सामान या सामान को बनाने या उसकी मरम्मत पर हुए खर्च के लिए कोई और पेमेंट पाने का हकदार नहीं होगा।

नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए बैंक की समझ के हिसाब से समय बढ़ाने का हक होगा, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए बैंक से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा।

इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदार से उनके काम के हिस्सों के लिए इस क्लॉज़ के नियमों के अनुसार एक जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी लागू करवाएगा और बैंक को ऐसी पॉलिसी दिखाएगा या बनवाएगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि वह इंश्योरेंस पॉलिसी जमा न कर दे। अगर उप-ठेकेदार साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाता है, तो ठेकेदार उस उप-ठेकेदार से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

ऊपर बताई गई इंश्योरेंस से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 7 दिनों के अंदर, अपने खर्च पर काम का इंश्योरेंस कराना होगा और काम पूरा होने तक, आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ, बैंक और ठेकेदार के जॉइंट नाम से एक ऑफिस (बैंक का नाम यानी, "RESERVE BANK OF INDIA" पॉलिसी में सबसे पहले रखा जाएगा) के साथ इंश्योरेंस रखना होगा। इसमें नीचे दिए गए रिस्क कवर होंगे।

i. ठेकेदार की ऑल रिस्क (CAR) पॉलिसी इंश्योरेंस में स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है, जिसमें पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए आग लगने का खतरा भी शामिल है और मैन्युफैक्चरर के काम से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस (हवा / समुद्र / सड़क वगैरह से, जैसा भी लागू हो)।

ii. साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी ।

iii. तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी की सीमाएँ निम्नानुसार हैं: अनुबंध अवधि के लिए ₹ 10,00,000 /- और प्रति घटना ₹ 2,00,000 /-।

नोट: अगर ठेकेदार ये पॉलिसी नहीं देता है, तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी खुद ले ले और ठेकेदार के बिल से पेनल्टी के तौर पर दोगुनी कीमत वसूले या कोई और कार्रवाई करे, जैसा वह ठीक समझे।

27. **प्रारंभ और समापन की तिथि**

ठेकेदार को परिशिष्ट में बताई गई "शुरू होने की तारीख" या बैंक द्वारा बताई गई किसी बाद की तारीख को साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी, और वह उसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर काम करेगा और उसे परिशिष्ट में बताई गई "पूरा होने की तारीख" को या उससे पहले पूरा करेगा (ऐसे पेंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर जिन्हें बैंक देर करना चाहे) लेकिन इसके बाद दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के अधीन।

28. **काम पूरा न होने पर हर्जाना**

अगर ठेकेदार काम की ज़रूरी प्रोग्रेस बनाए रखने में फेल हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट में तय समय तक या टाइम एक्सटेंशन क्लॉज़ 29 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है और बैंक लिखकर प्रमाणित करता है कि उसकी राय में काम ठीक से पूरा हो जाना चाहिए था, तो ठेकेदार बैंक को देरी के हर हफ़्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 0.25% " लिक्विडेटेड डैमेज " के तौर पर देगा , जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा (कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब है काम की कैपिटल कॉस्ट की कुल वैल्यू) उस समय के लिए जब तक काम अधूरा रहेगा और बैंक ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे से ऐसे डैमेज को काट सकता है। ठेकेदार इसके द्वारा खास तौर पर सहमत होता है और बैंक को इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ठेकेदार को मिलने वाली पेमेंट की किसी भी किस्त या रिटेंशन मनी से ऐसे लिक्विडेटेड डैमेज, अगर कोई हो, काटने के लिए ऑथराइज़ करता है।

29. **विलंब और समय विस्तार**

अगर बैंक की राय में, दिए गए काम में देरी होती है (a) किसी बड़ी वजह से या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा की गई कार्रवाई या धमकी या उनके साथ विवाद की वजह से, जो ठेकेदार की अपनी गलती के अलावा किसी और वजह से हुआ हो या (d) बैंक द्वारा हायर या नामित किए गए दूसरे ठेकेदार या ट्रेड्समैन के काम या देरी की वजह से, जिनका ज़िक्र बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और /या स्पेसिफिकेशन में नहीं है या (e) क्लॉज़ 2 के अनुसार बैंक के निर्देशों की वजह से या (f) सिविल हंगामे, मज़दूरों के कानूनी मेल या हड़ताल या लॉक-आउट की वजह से, जिससे बिल्डिंग के किसी भी काम पर असर पड़ रहा हो या (g) ठेकेदार को बैंक से ज़रूरी निर्देश समय पर न मिलने की वजह से, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर अप्लाई किया हो या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें बैंक ठेकेदार के कंट्रोल से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (i) अगर काम की कीमत कीमत वाले बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ की कीमत से ज़्यादा हो जाती है, तो बैंक कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा करने के लिए सही और सही समय बढ़ा सकता है। ऐसी हड़ताल या लॉक-आउट की स्थिति में भी, ठेकेदार देरी को रोकने के लिए लगातार कोशिश करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो सकता है।

अगर ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाना है या अगर कॉन्ट्रैक्ट में तय समय से ज़्यादा किसी वजह से काम पूरा होने में देरी होती है, तो ठेकेदार को तय समय खत्म होने से कम से कम 7 दिन पहले बैंक में लिखकर समय बढ़ाने के लिए अप्लाई करना होगा और समय बढ़ाने के लिए अप्लाई करते समय, ठेकेदार को देरी के लिए डिटेल में कारण और अपनी सफाई देनी होगी, साथ ही डॉक्यूमेंट्री सबूत (बाधा रजिस्टर के ज़रूरी पन्नों की कॉपी), अगर कोई हो, भी देना होगा। सिर्फ़ बैंक द्वारा दी गई समय बढ़ाने की अवधि (ठेकेदार से एप्लीकेशन मिलने पर या देरी के कारणों के सही होने के बारे में ऐसे किसी एप्लीकेशन के सर्टिफ़िकेट के न होने पर भी) ही लिक्विडेटेड डैमेज लगाने से छूट के लिए क्वालिफ़ाई होगी। मूल तय समय से ज़्यादा बची हुई अवधि और बैंक द्वारा दी गई ऑथराइज़्ड समय बढ़ाने के लिए, क्लॉज़ 28 के तहत बताया गया लिक्विडेटेड डैमेज का प्रोविज़न लागू होगा।

इसके अलावा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की तय तारीख के बाद भी लागू रहेगा, भले ही ठेकेदार ने काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अप्लाई किया हो या नहीं, जब तक कि बैंक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला न कर ले। किसी भी वजह से काम पूरा होने में देरी होने पर ठेकेदार को रेट में बदलाव या किसी भी वजह से एक्स्ट्रा मुआवज़े का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, फ़ोर्स मेज्योर की शर्तें इस तरह हैं:

i. इस डॉक्यूमेंट में दी गई किसी भी दूसरी बात के बावजूद, कोई भी पार्टी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी, अगर ऐसी देरी उन हालात की वजह से होती है जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं, जिसमें बिना किसी लिमिट के सरकार के काम, भगवान के काम, कुदरती आफ़त, हड़ताल, किसी भी इलाके में दंगे, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित) की वजह से हुई कोई भी देरी शामिल है। हालांकि, देरी की वजह बनने वाली ऐसी किसी भी घटना के होने पर, ठेकेदार को तुरंत बैंक को लिखकर इसकी सूचना देनी होगी। ठेकेदार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह फ़ोर्स मेज्योर घटना के असर को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।

ii. ऐसी घटना की वजह से, कोई भी पार्टी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की हकदार नहीं होगी।

iii. कॉन्ट्रैक्ट के तहत ज़िम्मेदारियाँ, घटना के खत्म होने या खत्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके फिर से शुरू कर दी जाएँगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में, घटना की वजह से आपसी सहमति से तय समय से ज़्यादा समय लगता है या देरी होती है, तो कोई भी पार्टी अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है।

30. <u>ठेकेदार द्वारा बैंक के निर्देशों का पालन न करना</u>

अगर ठेकेदार बैंक से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर पालन करने की ज़रूरत है, ऐसे निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो बैंक ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे लागू करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च बैंक ठेकेदार से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

31. <u>बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति</u>

यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वेच्छा से या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक की निगरानी में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के अंदर, बैंक की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

या अगर ठेकेदार (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) ठेकेदार के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस झेलता है,

या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी पेमेंट को ठेकेदार के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने देगा,

या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन या सबलेट नहीं करेगा,

या इस कॉन्ट्रैक्ट या ठेकेदार को इसके तहत मिलने वाले किसी भी पेमेंट पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा,

या अगर बैंक यह तय करता है कि ठेकेदार

i. कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, या

ii. काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों के लिए काम रोक दिया है, या

iii. काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या

iv. लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद तक साइट से सामान हटाने या गिराने और बदलने में नाकाम रहा है कि उक्त सामान या काम को इन शर्तों के तहत बैंक ने खारिज कर दिया है या

v. अनुबंध द्वारा पालन किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने और निष्पादित करने में ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर उपेक्षा की जाती है या लगातार विफल रहता है, जिसके लिए ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया जाएगा जिसमें ठेकेदार को उनका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी ।

तब और ऐसे किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट और देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट तय ही नहीं हुआ था, और जैसे बाद में किए गए काम ठेकेदार ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम में घुसकर उसे और एस्टेट या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औज़ार, मचान, मशीनरी और सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को, जिन्हें काम पूरा करने और फिनिशिंग के लिए रखा गया है या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक ठेकेदार को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर ठेकेदार नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो बैंक उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और ठेकेदार को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक यह पता लगाएगा और लिखकर प्रमाणित करेगा कि बैंक को या बैंक द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए क्या (अगर कुछ है) देना होगा और काम पूरा करने में बैंक को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर ठेकेदार को कोई रकम देनी है और जो रकम प्रमाणित की जाएगी, वह बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी, और बैंक का फ़ैसला पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।

32. <u>ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति</u>

अगर बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के तहत बैंक को देने वाली रकम का पेमेंट, ठेकेदार द्वारा बैंक को ऊपर बताई गई रकम के पेमेंट के लिए लिखित नोटिस देने के तीस दिन बाद भी बकाया है और पेमेंट नहीं किया गया है,

या अगर बैंक कॉन्ट्रैक्ट को मना कर देता है, या अगर बैंक के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, ठेकेदार को बैंक को लिखित नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट तय करने की आज़ादी होगी और वह बैंक से किए गए सभी कामों के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए पेमेंट वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे पेमेंट की रकम तय करने में, ठेकेदार के मूल निविदा में दिए गए नेट रेट्स को फॉलो किया जाएगा, या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां वैल्यूएशन इसके क्लॉज 19 के अनुसार किया जाएगा।

33. **<u>प्रमाणपत्र और पेमेंट</u>**

(a) ठेकेदार को बैंक द्वारा समय-समय पर किए गए कामों के लिए बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत किश्तों में पेमेंट किया जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार किए गए काम की अनुमानित कीमत, जिसे परिशिष्ट में " अंतरिम प्रमाणपत्र के लिए काम की कीमत " के रूप में बताया गया है (या बैंक की उचित समझ पर कम)। बैंक अपनी समझ से, अंतरिम प्रमाणपत्र में वह रकम शामिल कर सकता है, जिसे वह काम में इस्तेमाल के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर दिए गए सामान के लिए सही समझे। और जब काम लगभग पूरा हो जाएगा और बैंक लिखित में प्रमाणित कर देगा कि वे पूरे हो गए हैं, तो ठेकेदार को बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक द्वारा बाकी रकम का पेमेंट किया जाएगा। ठेकेदार, वास्तविक समापन की तिथि से परिशिष्ट में "दोष देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर या कार्यों के अंतिम रूप से पूरा होने और दोषों को इसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार ठीक करने की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी जारी करने का हकदार होगा, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद बैंक द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने से ठेकेदार को धारा 2 और 22 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और न ही ठेकेदार को कार्यों या सामग्री से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण छिपाव के मामलों में या प्रमाणपत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में उसकी अक्षमता से मुक्त किया जाएगा, जो एक उचित जांच से पता नहीं चला होगा। कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामान, जिससे वह जुड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है। न ही ठेकेदार का किसी भी ऐसे अमाउंट पर कोई दावा होगा जिसे बैंक ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और बैंक ने पेमेंट किया हो, और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं है। इस मामले में बैंक का फ़ैसला आख़िरी और मानने वाला होगा।

अगर काम या उसका कोई हिस्सा बैंक की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो बैंक के पास कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

बैंक किसी भी प्रमाणपत्र से उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले प्रमाणपत्र में कोई भी सुधार कर सकता है।

पेमेंट, प्रमाणपत्र बैंक को डिलीवर होने के बाद, परिशिष्ट में दिए गए "प्रमाणपत्र जारी करने का समय" के अंदर किया जाएगा।

सिस्टम के लिए पेमेंट आईएनआर में किया जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले किसी भी झगड़े को भी उस ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में सुलझाया जाएगा जहां से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है।

34. **भुगतान में देरी**

बैंक द्वारा ठेकेदार को दी जाने वाली कोई भी रकम, अगर परिशिष्ट में बताए गए "प्रमाणपत्र जारी करने के समय" के अंदर नहीं चुकाई जाती है, तो उस तारीख से, जब बैंक को वह रकम चुकानी चाहिए थी, पेमेंट होने तक, परिशिष्ट में बताए गए "देरी से पेमेंट के लिए ब्याज दर" के हिसाब से ब्याज लगेगा।

35. **मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा**

कॉन्ट्रैक्ट या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़े और मतभेद (चाहे काम चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और चाहे कॉन्ट्रैक्ट तय होने, छोड़ने या तोड़ने से पहले हों) बैंक को भेजे जाएंगे और वही उन्हें सुलझाएगा। बैंक अपना फ़ैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फ़ैसला फ़ाइनल सर्टिफ़िकेट के रूप में या किसी और तरह से हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले पर बैंक का फ़ैसला आख़िरी होगा और उस पर कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी पार्टी किसी मामले से नाखुश है, तो वह पार्टी ऐसे फ़ैसले का नोटिस मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को लिखकर नोटिस दे सकती है कि विवादित मामलों को यहां तय तरीके के हिसाब से आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाए। ऐसे लिखे हुए नोटिस में वे मामले बताए जाएंगे, जिन पर विवाद है या जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टियां राज़ी होती हैं, तो इस काम के लिए एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। अगर एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पार्टियां अपनी तरफ़ से एक-एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नामित करेंगी। पार्टियों द्वारा नामित किए गए दो आर्बिट्रेटर एक और व्यक्ति को तीसरे आर्बिट्रेटर के तौर पर नामित करेंगे।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, फैसले, रिक्विजिशन, या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस पर एंटर करने की तारीख से 12 महीने (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किया गया और बढ़ाया गया समय) के अंदर अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान, पार्टियां आपस में अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ का जॉइंट मेमोरेंडम फाइल करने पर, आर्बिट्रेटर, या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवार्ड से जुड़े खर्च पर फैसला, जैसा भी मामला हो, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से वहन करेगा और चुकाएगा।

यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक के फैसले को मानेगा। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, ठेकेदार को काम को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा।

बैंक और ठेकेदार इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

आर्बिट्रेशन की स्थान **वह सेंटर / शहर होगा जहां काम किया जा रहा है** ।

36. **अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार**

बैंक को काम की टेक्निकल जांच करने और ठेकेदार के फाइनल बिल की जांच करने का अधिकार होगा, जिसमें फाइनल बिल के पेमेंट के समय सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल होंगे। अगर इस जांच या किसी और वजह से, कोई रकम ज़्यादा पेमेंट की गई या ज़्यादा प्रमाणित पाई जाती है, तो बैंक के लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

37. **बैंक कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे को वसूलने का हकदार है**

अगर किसी भी वजह से, एम्प्लॉईज़ कम्पनसेशन एक्ट, 1923 के नियम, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, बैंक को ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी कामगार को मुआवज़ा देना ज़रूरी है, तो बैंक ठेकेदार से दिए गए मुआवज़े की रकम वसूलने का हकदार होगा, और इससे उस एक्ट के तहत बैंक के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक को सिक्योरिटी डिपॉज़िट से या इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ठेकेदार को बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी भी रकम से या किसी और तरह से ऐसी रकम या उसका कोई हिस्सा काटकर वसूलने की आज़ादी होगी। बैंक उस एक्ट के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा बैंक को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के, जिनके लिए बैंक ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है।

38. **कार्यों का परित्याग**

अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, बैंक किसी भी वजह से, पूरे काम या उसके किसी हिस्से को करने की ज़रूरत नहीं समझता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखकर नोटिस देगा। ठेकेदार का पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के पेमेंट का कोई दावा नहीं होगा।

39. **अतिरिक्त सामग्री की वापसी**

इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी या सभी क्लॉज़ में इसके उलट कुछ भी होने पर भी, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई भी सामान बैंक की मदद से सरकार के आदेश, परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदा जाता है, वहाँ ठेकेदार उस सामान को किफ़ायती तरीके से और सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट के मकसद के लिए रखेगा और बैंक की पहले से लिखी हुई इजाज़त के बिना उसे नहीं फेंकेगा और अगर बैंक कहे, तो सामान की हालत को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा तय की गई कीमत पर उसे बैंक को वापस कर देगा। यह कीमत उसकी खरीद कीमत से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (जीएसटी), ऑक्ट्रॉय और ठेकेदार द्वारा दिए गए दूसरे ऐसे टैक्स शामिल होंगे। ऊपर बताई गई शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के लिए कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण उसे हुए सभी पैसे, फ़ायदे या मुनाफ़े के लिए भी बैंक के प्रति ज़िम्मेदार होगा, या जो आम तौर पर उसे मिलते।

40. **यदि ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है तो बैंक को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार**

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर ठेकेदार, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो बैंक के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी टर्मिनेशन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

41 . **<u>दुर्घटना रिपोर्ट</u>**

किसी भी तरह के एक्सीडेंट की स्थिति में, सभी ज़रूरी रिपोर्ट (एक्सीडेंटल या किसी और वजह से) बिना देर किए जमा करनी होंगी। ठेकेदार यह पक्का करेगा कि ये रिपोर्ट बैंक के साथ शेयर की जाएं और साथ ही किसी दूसरी बाहरी पार्टी या स्टेकहोल्डर को भी भेजी जाएं।

42. **<u>कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम:</u>**

i. ठेकेदार "वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के कैंपस में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, शिकायत ठेकेदार /एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या लोकल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने फाइल की जाएगी, जैसा भी मामला हो और ठेकेदार एजेंसी शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई पक्का करेगी।

ii. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।

iii. अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

iv. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

v. ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

43. गैर-प्रकटीकरण खंड :

i. ठेकेदार सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और विवरण, जो सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर को इस एग्रीमेंट के संबंध में अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान मिली हो या उनके पास आई हो, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट की विवरण को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार सेकंड पार्टी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी विवरण पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, और सेकंड पार्टी को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

ii. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कार्रवाई करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।

iii. फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर कोई असर डाले बिना, इस निविदा के तहत ठेकेदार पर लागू होने वाली सभी गोपनीयता और नॉन-डिस्क्लोजर की ज़िम्मेदारियां, किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने, पूरा होने या खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगी।

44. **कार्यक्रम चार्ट/ प्रगति रिपोर्ट** :

ठेकेदार को काम के अलग-अलग स्टेज को पूरा करने के लिए एक सही प्रोग्रेस रिपोर्ट / चार्ट जमा करना होगा, ताकि काम तय समय में पूरा हो सके। ऐसा प्रोग्राम काम मिलने के 7 दिनों के अंदर जमा करना होगा । बैंक द्वारा किए गए सभी सही बदलाव प्रोग्रेस चार्ट में शामिल किए जाने चाहिए। अगर कहा जाए तो ठेकेदार को अलग-अलग यूनिट और यूनिट के ग्रुप के लिए मौजूदा इक्विपमेंट डिलीवरी की तारीखें और अनुमानित पूरा होने की तारीखें दिखाते हुए रिपोर्ट जमा करनी होगी।

45. **वैधानिक अनुमोदन:**

ठेकेदार द्वारा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) / मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) / स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण / स्थानीय नगरपालिका आदि / स्थानीय वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त पूर्व एनओसी और स्थानीय निकाय अनुमोदन के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा। ठेकेदार ऐसी सभी स्वीकृतियों में किए गए सभी प्रावधानों को समझने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी अतिरिक्त कार्य / उसके संशोधन की किसी भी आवश्यकता के मामले में, इसे पहले से ही प्रभारी इंजीनियर के ध्यान में लाया जाएगा। स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के मानदंडों का पालन करते हुए काम निष्पादित किया जाना है। ठेकेदार संबंधित प्राधिकरणों से आगे की मंजूरी और अंतिम समापन और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काम के दौरान और पूरा होने के बाद आवश्यकतानुसार दस्तावेजों, रिपोर्ट आदि को तैयार करने में सहायता करेगा। ठेकेदार संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेने और सभी संपर्क कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस खाते पर कोई अतिरिक्त / अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

46. **निषेध/ अयोग्यता:**

एक ठेकेदार को इन वजहों से बोली लगाने से रोका जा सकता है :

a. अगर यह पता चलता है कि ठेकेदार ने कोड ऑफ़ इंटेग्रिटी का उल्लंघन करते हुए ये काम या चूक की है:

i. खरीद प्रक्रिया में गलत फ़ायदा पाने के लिए या खरीद प्रक्रिया को किसी और तरह से प्रभावित करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या तोहफ़ा या कोई भी ज़रूरी फ़ायदा देने, मांगने या लेने की पेशकश करना।

ii. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने की कोशिश कर सकती है ताकि फाइनेंशियल या दूसरा फायदा मिल सके, या किसी ज़िम्मेदारी से बचा जा सके।

iii. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या एंटी-कॉम्पिटिटिव व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।

iv. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में गलत फ़ायदा उठाने या अपने फ़ायदे के लिए प्रोक्योर करने वाली कंपनी द्वारा ठेकेदार को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना।

v. ठेकेदार और खरीदने वाली कंपनी के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन प्रोसेस से जुड़ा कोई भी फाइनेंशियल या बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन: जो खरीदने वाली कंपनी के फैसले पर सीधे या इनडायरेक्टली असर डाल सकता है।

vi. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या धमकी।

vii. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिटिंग में बाधा डालना।

viii. निविदा प्रोसेस में हिस्सा लेने या कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी देना।

b. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल रहा।

c. उप-खंड के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा

i. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / इकाई के साथ या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्थान / इकाई द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में।

ii. ठेकेदार द्वारा कोड ऑफ़ इंटेग्रिटी के उल्लंघन के अलावा किसी भी ऐसे काम या चूक के लिए, जिसके लिए बैंक की राय में डिबारमेंट ज़रूरी है, जैसे कि घटिया मटीरियल की सप्लाई, मटीरियल की सप्लाई न होना, काम छोड़ देना, काम की घटिया क्वालिटी, निविदा की शर्तों का पालन न करना वगैरह।

iii. अगर ठेकेदार को किसी जुर्म का दोषी ठहराया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान करने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पैदा करने के लिए।

d. अगर बैंक यह तय करता है कि ठेकेदार

i. कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, या

ii. काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों के लिए काम रोक दिया है, या

iii. काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या

iv. लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद तक साइट से सामान हटाने या गिराने और बदलने में नाकाम रहा है कि उक्त सामान या काम को इन शर्तों के तहत बैंक ने खारिज कर दिया है या

v. अनुबंध द्वारा पालन किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा की गई है या विफल रहा है, सात दिनों के भीतर लिखित नोटिस दिए जाने के बाद ठेकेदार को उसी का पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

e. क्लॉज़ 29 के अनुसार कोई भी एक्शन लेने पर ठेकेदार अपने आप डिबारमेंट / डिसक्वालिफ़िकेशन हो जाएगा। यह डिबारमेंट आगे की बिडिंग पर भी लागू होगा।

47. पैकिंग और डिस्पैच: इक्विपमेंट को भारतीय हालात में कई बार हैंडल करने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही बॉक्स में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए। सभी इक्विपमेंट / पार्ट्स बैंक के कार्यालय भवन में ड्यूटी डिलीवरी पेड (DDP) बेसिस पर डिलीवर किए जाएंगे।

48. पुलिस वेरिफिकेशन : साइट पर रेगुलर तौर पर काम करने वाले सभी वर्कर के लिए, ठेकेदार काम शुरू होने से पहले अपने खर्चे पर लागू पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (पीवीआर) का इंतज़ाम करेगा, लेगा और जमा करेगा। ठेकेदार यह पक्का करेगा कि बैंक की स्थान पर कोई ऐसा वर्कर तैनात न हो जिसका पुलिस रिकॉर्ड खराब हो या जिस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो।

मैंने/हमने ऊपर बताई गई सभी शर्तें समझ ली हैं और वे मुझे/हमें मंज़ूर हैं।

ठेकेदार के साइन और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

खंड -V

अनुबंध की विशेष शर्तें

1. काम करने वालों को **स्थान** के अंदर रहने की इजाज़त नहीं होगी।

2. काम के लिए ज़रूरी बिजली और पानी साइट पर मौजूद सप्लाई से मुफ़्त में लिया जा सकता है।

3. निविदा देने वाला व्यक्ति निविदा ड्रॉइंग, स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी बैंक के किसी भी वर्किंग डे पर डिपार्टमेंट से ले सकता है।

4. ऊपर दिए गए काम से निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी तरह की बर्बादी को बैंक के इंजीनियर के कहने पर और ज़रूरत के हिसाब से साफ़ किया जाएगा।

5. निविदा देने वाले को बैंक के इंजीनियर्स की संतुष्टि के अनुसार, साइट पर (बैंक की **स्थान** से) जमा हुआ सारा मलबा हटाना होगा।

6. ठेकेदार काम करते समय एक योग्य सुपरवाइज़र को रखेगा। साइट पर कोई भी काम बिना सुपरवाइज़्ड तरीके से नहीं किया जाएगा।

7. निविदा देने वाला सिर्फ़ अप्रूव्ड ब्रांड का सामान इस्तेमाल करेगा। अगर निविदा देने वाला कोई विकल्प नहीं बताता है, तो बैंक को दिए गए नामों में से कोई भी ब्रांड का सामान चुनने की आज़ादी होगी।

8. यह काम सिविल वर्क्स और साइट पर काम कर रही दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर किया जाएगा, ताकि **कार्यालय भवन** में रहने वालों या कामकाज में कोई बेवजह परेशानी न हो। ठेकेदार को ऐसे काम करने से पहले बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी जिनमें शटडाउन, आने-जाने पर रोक, या मौजूदा सेवाओं में रुकावट की ज़रूरत हो।

9. काम के दौरान ठेकेदार की वजह से बैंक की किसी भी प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान को उसे अपने खर्च पर ठीक करना होगा।

10. निविदा देने वालों द्वारा "रेट कॉलम" में ऑनलाइन दिए गए रेट में जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए।

11. काम मिलने के बाद इनवॉइस जमा करते समय, ठेकेदार को काम की कीमत में शामिल जीएसटी अमाउंट साफ़-साफ़ बताना होगा।

12. पूरा करने का समय: मेमोरेंडम में बताए गए काम को पूरा करने के लिए ठेकेदार को दिए गए समय का सख्ती से पालन करना होगा और यह काम शुरू करने का लिखित आदेश जारी होने के सातवें दिन से माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की तय अवधि के दौरान काम पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर ठेकेदार तय अवधि के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट की सामान्य शर्तों के क्लॉज़ 28 में बताए गए अनुसार मुआवज़ा देना होगा। ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड कार्य प्रोग्राम तैयार करना होगा जिसे बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी।

13. ठेकेदार को काम शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में बदलाव या उससे जुड़े किसी सब-कॉन्ट्रैक्ट में देरी या प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने में देरी या ऐसे कामों को शुरू या पूरा करने में देरी या सरकारी कंट्रोल वाला या दूसरा बिल्डिंग मटीरियल खरीदने में देरी या कंस्ट्रक्शन के मकसद से पानी और बिजली

के कनेक्शन लेने में देरी या कोई भी दूसरी वजह शामिल है और बैंक इससे जुड़े किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। बैंक निविदा की रकम के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।

14. ठेकेदार अपने खर्च पर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि के दौरान कम से कम एक (1) योग्य इलेक्ट्रीशियन और एक (1) हेल्पर को रखेगा। वे काम के घंटों के दौरान प्रोजेक्ट साइट पर खुद मौजूद रहेंगे और बैंक के इंजीनियर की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना उन्हें हटाया या बदला नहीं जाएगा। ठेकेदार यह मानता है कि काम साइट पर दूसरे सिविल कामों के साथ मिलकर किया जाएगा। काम साइट पर काम की प्रोग्रेस के हिसाब से आगे बढ़ेगा। ठेकेदार काम के स्कोप, क्वांटिटी और प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए, ऊपर बताई गई मिनिमम मैनपावर के अलावा, और बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के क्लेम के, ज़रूरत के हिसाब से और स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को भी रखेगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

खंड-VI

इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

1	दोष देयता अवधि (डीएलपी)	काम लगभग पूरा होने की तारीख से 12 महीने।
2	अंतिम माप की अवधि	फ़ाइनल कमीशनिंग की तारीख से 1 महीना।
3	प्रारंभण की तिथि	बैंक से कार्य आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन।
4	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से कार्य आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन से 90 दिन।
5	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
6	प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 5%, जो किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम पर जारी किया जाएगा। इसका फ़ॉर्मेट परिशिष्ट-5 में दिया गया है।
7	रिटेंशन मनी डिपॉजिट (आरएमडी)	बिलों से 5% काटा जाएगा (काम की कीमत का 5%)।
8	परिसमापन हर्जाना	देरी के हर हफ़्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 0.25%, जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।
9	अंतिम भुगतान का सम्मान करने की अवधि	जॉइंट मेज़रमेंट की तारीख से 3 महीने।
10	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	3 प्रतिशत प्रति वर्ष।
11	अंतरिम प्रमाणन	काम लगभग पूरा होने तक कोई अंतरिम पेमेंट नहीं होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

धारा-VII

सुरक्षा कोड

सामान्य सुरक्षा कोड

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली **स्थान** पर दिए जाएंगे।

2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।

3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।

4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा मज़दूर लगाया जाएगा।

5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली **स्थान** पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी; कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।

7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।

8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।

9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।

10. लेड या लेड प्रोडक्ट्स वाला कोई भी पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के।

11. जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाएंगे।

12. पेंटर्स को ओवरऑल्स ठेकेदार द्वारा दिए जाएंगे और काम बंद होने के समय पेंटर्स को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।

13. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।

14. ऊपर उठाने या नीचे करने वाले सामान, या सस्पेंशन के साधन में इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।

15. ठेकेदार को कानूनी नियमों के अनुसार काम करने के लिए वर्कर्स को सभी सेफ्टी गैजेट्स देने होंगे।

16. काम करते समय ज़रूरी फायर सेफ्टी उपाय भी किए जाएंगे।

<u>अग्नि सुरक्षा कोड:</u>

1. साइट पर इस्तेमाल होने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे इक्विपमेंट को सही रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।

2. सिर्फ़ ।S। मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे।

3. इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।

4. सभी बिजली के उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह, काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किए जाने चाहिए।

5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को बताया जाएगा और फायर ऑफिसर/कर्मचारी के साइट इंस्पेक्शन के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।

6. साइट पर आसानी से पहुंचने वाली **स्थान** पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।

7. फायर ऑफिसर द्वारा बताए गए और जारी किए गए फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर रखे जाएंगे।

8. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।

9. काम की ज़रूरत के हिसाब से, ठेकेदार काम करने वालों को काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।

10. सेफ्टी बेल्ट ठेकेदार देगा और काम करने वाले ग्राउंड लेवल से 10' से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।

11. लिफ्ट, लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।

12. सीढ़ियों के दोनों दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।

13. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय **स्थान** से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

14. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

15. काम से निकलने वाली लकड़ी की छीलन और बुरादा को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा, और सही तरीके से तय **स्थान** पर स्टोर किया जाएगा।

16. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा, और सही तरीके से तय **स्थान** पर स्टोर किया जाएगा।

17. ऑफिस के समय के बाद काम करते समय ठेकेदार को काम करने वालों को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट / टॉर्च देनी होगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

खंड- VIII

तकनीकी विनिर्देश और कार्य का दायरा

1. बताए गए काम '**आरबीआई**, **कोच्ची** में **कार्यालय भवन** के तीसरे फ्लोर के रेनोवेशन से जुड़े इलेक्ट्रिकल काम' से जुड़े हैं, जो बैंक के कार्यालय भवन**,** कोच्ची के तीसरे फ्लोर के ऑफिस एरिया में किए जाने हैं। इसे नीचे बताए गए समेत, लागू टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया जाएगा।

2. इन स्पेसिफिकेशन्स और **विवरण** में टेक्निकल **विवरण**, शेड्यूल, लेआउट और SLD के हिसाब से मटीरियल की सप्लाई, फैब्रिकेशन, इरेक्शन, टेस्टिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कमीशनिंग शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट के लागू प्रोविज़न, **मानक** और शर्तें काम और उसके एग्जीक्यूशन पर लागू होंगी।

3. काम के लिए ज़रूरी बिजली (3-फेज, 415V / सिंगल-फेज 240V, 50 Hz AC) और पानी साइट पर मौजूद सप्लाई से फ्री में लिया जा सकता है।

4. सेक्शन-IX में दी गई ड्राइंग इस निविदा का हिस्सा होंगी। डीबी**,** सर्किट रूट, स्विच बोर्ड, सॉकेट आउटलेट, लाइट फिटिंग और दूसरे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जगहें वैसी ही होंगी जैसी ड्राइंग में बताई गई हैं। ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटी के शेड्यूल में कोई भी अंतर होने पर, काम शुरू करने से पहले बैंक के इंजीनियर को बताया जाएगा।

5. रॉ पावर सप्लाई, यूपीएस सप्लाई और लाइटिंग के लिए वायरिंग 1100V ग्रेड पीवीसी इंसुलेटेड एफ़आरएलएसएच मल्टी-स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर वायर का इस्तेमाल करके की जाएगी, जिन्हें आईएसआई मार्क वाले मीडियम-ड्यूटी 25mm पीवीसी कंड्यूट से खींचा जाएगा, और सभी ज़रूरी एक्सेसरीज़ के साथ। वायरिंग को ड्राइंग में दिखाए अनुसार छिपाया जाएगा / थोड़ा छिपाया जाएगा / सरफेस माउंट किया जाएगा। मौजूदा कंड्यूट को बैंक के इंजीनियर से इंस्पेक्शन और अप्रूवल के बाद ही दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी खराब सतहों को ठीक किया जाएगा और आस-पास की सतहों से मैच करने के लिए फिनिश किया जाएगा।

6. सभी सप्लाई और इंस्टॉलेशन का काम स्पेसिफिकेशन्स और कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग्स के हिसाब से किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़े उपाय) रेगुलेशंस, 2023, और उसमें लागू बदलावों के साथ-साथ संबंधित इंडियन स्टैंडर्ड्स और लागू कानूनी ज़रूरतों के हिसाब से होगा। ठेकेदार के पास केरल में काम के नेचर और हद के हिसाब से एक लागू इलेक्ट्रिकल ठेकेदार लाइसेंस होना चाहिए। किए गए काम, और बीओक्यू के अनुसार कोट किए गए रेट्स में ये बातें शामिल होंगी:

 a. डीबी से संबंधित स्विच बोर्ड / आउटलेट ग्रुप तक सर्किट वायरिंग में 2x2.5sq.mm + 1x1.5sq.mm एफ़आरएलएसएच कॉपर वायर के साइज़ के अलग-अलग फेज़, न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर दिए जाएंगे। हर सर्किट को डीबी और उसके टर्मिनेशन पॉइंट पर पहचाना जाएगा। न्यूट्रल कंडक्टर को अलग-अलग प्रोटेक्टेड फाइनल सर्किट के बीच शेयर नहीं किया जाएगा।

 b. स्विच बोर्ड से फिटिंग तक पॉइंट वायरिंग 3 × 1.5 sq. mm. एफ़आरएलएसएच कॉपर वायर का इस्तेमाल करके की जाएगी, जिसमें फेज़ / स्विच्ड फेज़, न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थ शामिल होंगे, जैसा बताया गया है और जैसा बताया गया है, वैसा पूरा होगा।

 c. हर लाइटिंग / लो-पावर सब-सर्किट पर लोड 800 वॉट या आठ पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी लिमिट पहले पूरी हो जाए।

d. हर 16A पावर सब-सर्किट पर लोड 2000 वॉट या दो पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी लिमिट पहले पूरी हो जाए।

e. अप्रूव्ड सर्किट शेड्यूल में बताए गए हर फ़ाइनल सर्किट के लिए एक अलग प्रोटेक्टिव डिवाइस और सर्किट वायरिंग दी जाएगी। आउटगोइंग प्रोटेक्टिव डिवाइस की संख्या और रेटिंग असल में दी गई लाइटिंग, रॉ पावर, यूपीएस, और दूसरे सर्किट के हिसाब से होगी।

f. फेज़, न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर को पूरे इंस्टॉलेशन में लागू इंडियन स्टैंडर्ड्स और बैंक के इंजीनियर द्वारा अप्रूव्ड मौजूदा इंस्टॉलेशन आइडेंटिफिकेशन स्कीम के अनुसार लगातार पहचाना जाएगा। प्रोटेक्टिव अर्थ और न्यूट्रल आइडेंटिफिकेशन के लिए रिज़र्व रंगों का इस्तेमाल फेज़ / स्विच्ड-फेज कंडक्टर के लिए नहीं किया जाएगा। रॉ पावर और यूपीएस सर्किट को डीबीs, जंक्शन बॉक्स, स्विच बोर्ड और सॉकेट आउटलेट पर अलग से पहचाना जाएगा। इसके अलावा, जहाँ भी ज़रूरत हो, अलग-अलग रंगों के तार / केबल इस्तेमाल किए जाएँगे, जिन्हें नीचे दिए गए सिस्टम के अनुसार बिछाया जाएगा।

 i. लाल या कोई भी रंग (काले या हरे के अलावा) - फेज या स्विच वायर के लिए

 ii. काला - न्यूट्रल के लिए

 iii. हरा- पृथ्वी के लिए

g. पाइप, केबल वगैरह छिपाने के लिए दीवार को काटना/काटना सिर्फ़ मशीन से किया जाएगा।

h. 50 mm से ज़्यादा चौड़ी दीवार की चेज़िंग / कटिंग को प्लास्टरिंग में दरार से बचाने के लिए चिकन मेश से फ़िनिश किया जाएगा।

i. मॉड्यूलर टाइप स्विच / सॉकेट / स्टेप टाइप 2 मॉड्यूल फैन रेगुलेटर को फैक्ट्री में बने GI मॉड्यूलर बॉक्स और ज़रूरी साइज़ की माउंटिंग प्लेट में रखा और कनेक्ट किया जाएगा, जो मंज़ूर मेक की हो, और दीवार / वर्कस्टेशन पार्टीशन / टेबल में छिपाकर, मानक के अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से और बताए गए तरीके से लगाया जाएगा।

j. जंक्शन बॉक्स में सीलिंग रोज़ / कनेक्टर / एंगल बैटन होल्डर को, मंज़ूरशुदा मेक की माउंटिंग प्लेट / हाइलम शीट / गोल ब्लॉक का इस्तेमाल करके, दीवार में छिपाकर, मानक के अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से और बताए गए तरीके से लगाया और जोड़ा जाएगा।

k. फिटिंग के कनेक्शन भी कनेक्टर और फिटिंग के साथ मिलने वाले फ्लेक्सिबल तारों से किए जाएंगे, अगर कोई हों, या फिर मानक के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से और बताए गए तरीके से सही रेटिंग के फ्लेक्सिबल तारों का इस्तेमाल करके किए जाएंगे।

l. दीवार के पंखे / किचन चिमनी यूनिट वगैरह को जोड़ने के लिए पॉइंट देते समय, सॉकेट और स्विच को अलग-अलग जगहों पर लगे अलग-अलग बॉक्स में रखना चाहिए, सॉकेट इक्विपमेंट की स्थान के पास, और स्विच को पास में आसानी से मिलने वाली सही स्थान पर रखना चाहिए।

m. सही इंस्पेक्शन बॉक्स (रेक्टेंगुलर जंक्शन बॉक्स), छिपे हुए / थोड़े छिपे हुए / खुले, दिए जाने चाहिए ताकि समय-समय पर इंस्पेक्शन किया जा सके, भविष्य में नए सर्किट बनाए जा सकें, और/या अगर ज़रूरी हो तो तारों को हटाने में आसानी हो। इनमें इंस्पेक्शन बॉक्स कवर दिए जाने चाहिए।

n. सभी आउटलेट, जैसे स्विच, वॉल सॉकेट, वगैरह छिपी हुई वायरिंग के मामले में फ्लश माउंटिंग टाइप के होते हैं। आउटलेट बॉक्स को दीवार / वर्कस्टेशन पार्टीशन / टेबल के साथ, मानक के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से और बताए गए तरीके से फ्लश माउंट किया जाएगा।

o. अप्रूव्ड ड्राइंग में बताए गए फ़्लोर रूट के साथ पहले से बिछाए गए और साइट पर चालू किए गए पावर और कम्युनिकेशन पाइप का इस्तेमाल वर्कस्टेशन वायरिंग / केबलिंग और दूसरी संबंधित सर्किट वायरिंग के लिए किया जाएगा। लाइट-पॉइंट वायरिंग को दीवारों / छत के साथ छिपे हुए / थोड़े छिपे हुए तरीके से और लोकेशन पर दी जाने वाली फॉल्स-सीलिंग स्पेस के अंदर लगाया जाएगा।

p. जहां भी फ्लोर ट्रेंच (ऊपर बताई गई) से वायरिंग / केबलिंग की ज़रूरत हो, पावर ट्रेंच में एक ही लेयर में तय संख्या में 25 mm पीवीसी कंड्यूट लगाए जाएंगे, जिनकी अंदर की चौड़ाई ड्राइंग में बताई गई है। रॉ पावर और यूपीएस कंड्यूट अलग-अलग पहचाने जाएंगे। डेटा / टेलीफोन कंड्यूट को पावर कंड्यूट से अलग रूट किया जाएगा। बताई गई जगहों पर तय साइज़ के फैक्ट्री-फैब्रिकेटेड फ्लोर जंक्शन बॉक्स दिए जाएंगे, जिनमें हटाने लायक, आसानी से मिलने वाले कवर, कंड्यूट एंट्री, बुश, सपोर्ट और जहां भी लागू हो, अर्थिंग की व्यवस्था होगी। कंड्यूट जंक्शन बॉक्स पर खत्म हो जाएंगे, जो फ्लोरिंग पूरी होने के बाद भी आसानी से मिलने वाले रहेंगे। जहां भी मंज़ूरी हो, बॉक्स एंट्री पर छोटे फ्लेक्सिबल कंड्यूट कनेक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे सही बेंड रेडियस बना रहे, और तारों को खींचने और बदलने में आसानी हो। बैंक के इंजीनियर द्वारा लगाए गए कंड्यूट के इंस्पेक्शन और मंज़ूरी के बाद ट्रेंच को भरा और पूरा किया जाएगा।

7. ठेकेदार जो काम करेगा, उसमें, जब तक कुछ और न बताया गया हो, ये शामिल होंगे, लेकिन सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं। बताई गई दरों में ये भी शामिल होंगे।

a. सभी लेबर, मटीरियल, टूल्स, प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सुपरविज़न, सर्विसेज़, मटीरियल, सपोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह।

b. पूरे इंस्टॉलेशन का इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस, प्रोटेक्टिव कंडक्टर की कंटिन्यूटी, पोलैरिटी, फेज़ सीक्वेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइस का ऑपरेशन, RCCB ऑपरेटिंग टेस्ट जहाँ भी लागू हो, और लागू मानक के हिसाब से ज़रूरी दूसरे टेस्ट शामिल हैं। टेस्टिंग कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले टेस्ट वोल्टेज के संपर्क में लाए बिना की जाएगी।

c. बीओक्यू आइटम बनाने और लगाने के लिए ज़रूरी कोई भी लेबर, मटीरियल, टूल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट।

d. ज़रूरत के हिसाब से मचान की सप्लाई, इंतज़ाम और उसे लगाना, और काम के बाद उसे हटाना।

e. काम के शेड्यूल में कोई भी बदलाव/विचलन होने पर, काम शुरू होने से पहले बैंक के इंजीनियर को ठीक से बताना होगा और मंज़ूरी देनी होगी।

f. काम शुरू करने से पहले, सामान/इक्विपमेंट के सैंपल बैंक से अप्रूवल के लिए देने होंगे।

g. ठेकेदार की ज़िम्मेदारी होगी कि अगर ज़रूरत हो, तो काम के शेड्यूल के हिसाब से सही इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर / सप्लाई अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे, और ज़रूरी परमिट / अप्रूवल ले (बैंक को बताने के बाद)। वह यह पक्का करने के लिए ज़िम्मेदार होगा कि सारा काम उनके अप्रूवल / टेस्टिंग से पास हो जाए।

h. सभी ज़रूरी चीज़ें देना जो दिखाई या बताई नहीं गई हैं, लेकिन काम के मानक / शेड्यूल / आइटम / काम के स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी हैं।

i. अगर कोई सिविल काम खराब हुआ हो, तो उसे ठीक करना।

j. काम पूरा करने के लिए पहले से बिछाए गए पाइप में ज़रूरी बदलाव, जिसमें मेटल / पीवीसी पाइप और एक्सेसरीज़ की सप्लाई और फिक्सिंग, चेज़िंग और कटिंग वगैरह शामिल हैं।

k. बैंक के इंजीनियर के साथ तय किए गए इस काम से निकलने वाले मलबे को रेगुलर साफ़ किया जाएगा। अगर बैंक की संतुष्टि के अनुसार ऐसा नहीं किया जाता है, तो फर्म को मिलने वाला पेमेंट तब तक रोका जा सकता है जब तक मलबा साफ़ नहीं हो जाता / मलबा हटाने पर होने वाला खर्च (दूसरी एजेंसियों के ज़रिए) ठेकेदार से उनके पेमेंट में से सही कटौती करके वसूला जा सकता है।

l. काम शुरू करने के लिए लोकल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी से संपर्क करने का कोई भी काम ठेकेदार को अपने खर्च पर करना होगा और निविदा किए गए काम से जुड़ी किसी भी सरकारी अथॉरिटी/इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी को देने वाली कोई भी रकम, ठेकेदार द्वारा दी गई मूल रसीद/फीस जमा करने पर ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी।

8. जब तक खास तौर पर कुछ और न बताया गया हो, काम, डिज़ाइन, कारीगरी, मटीरियल की क्वालिटी और प्रॉपर्टीज़, टेस्टिंग का कोई भी तरीका वगैरह से जुड़े सभी पहलू लेटेस्ट और ज़रूरी BIS कोड के हिसाब से चलेंगे।

9. मटीरियल इस निविदा में दिए गए अप्रूव्ड ब्रांड के मटीरियल की लिस्ट के अनुसार अप्रूव्ड मेक और क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ऊपर बताई गई मटीरियल की लिस्ट में किसी प्रोडक्ट के दो या उससे ज़्यादा या दूसरे ब्रांड/मेक का ज़िक्र है, तो काम में कौन सा ब्रांड/मेक इस्तेमाल किया जाएगा, यह फ़ैसला बैंक लेगा, और ठेकेदार बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के चुना हुआ ब्रांड/मेक देगा।

10. अगर, लिस्ट में दिए गए मैन्युफैक्चरर के अलावा किसी और से मटीरियल लेना ज़रूरी है, क्योंकि वह अवेलेबल नहीं है, तो बैंक के इंजीनियर से पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा, जिसके साथ ज़रूरी मानक को पूरा करने वाले संबंधित टेस्ट प्रमाणपत्र भी होने चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी, तो कंसल्टेंट के बताए अनुसार आगे के टेस्ट भी ठेकेदार को अपने खर्च पर करने होंगे। ठेकेदार को आदेश देने से पहले सभी मटीरियल के सैंपल के लिए बैंक से अप्रूवल लेना होगा और अप्रूव्ड सैंपल को बैंक द्वारा वेरिफिकेशन के लिए साइट पर सही तरीके से सावधानी से संभालकर रखना होगा। मानक खरीदे गए आइटम के लिए, बताए गए डाइमेंशन से किसी भी प्रपोज़्ड वेरिएशन के लिए बैंक के इंजीनियर से पहले से लिखकर अप्रूवल लेना होगा। ऐसा अप्रूवल तय स्थान, माउंटिंग अरेंजमेंट, आर्किटेक्चरल ज़रूरतों और बताई गई परफॉर्मेंस के लिए सूटेबिलिटी पर निर्भर करेगा। अप्रूव्ड लिस्ट में किसी मेक को शामिल करने का मतलब यह नहीं होगा कि उसका साइज़, रेटिंग या परफॉर्मेंस अलग है।

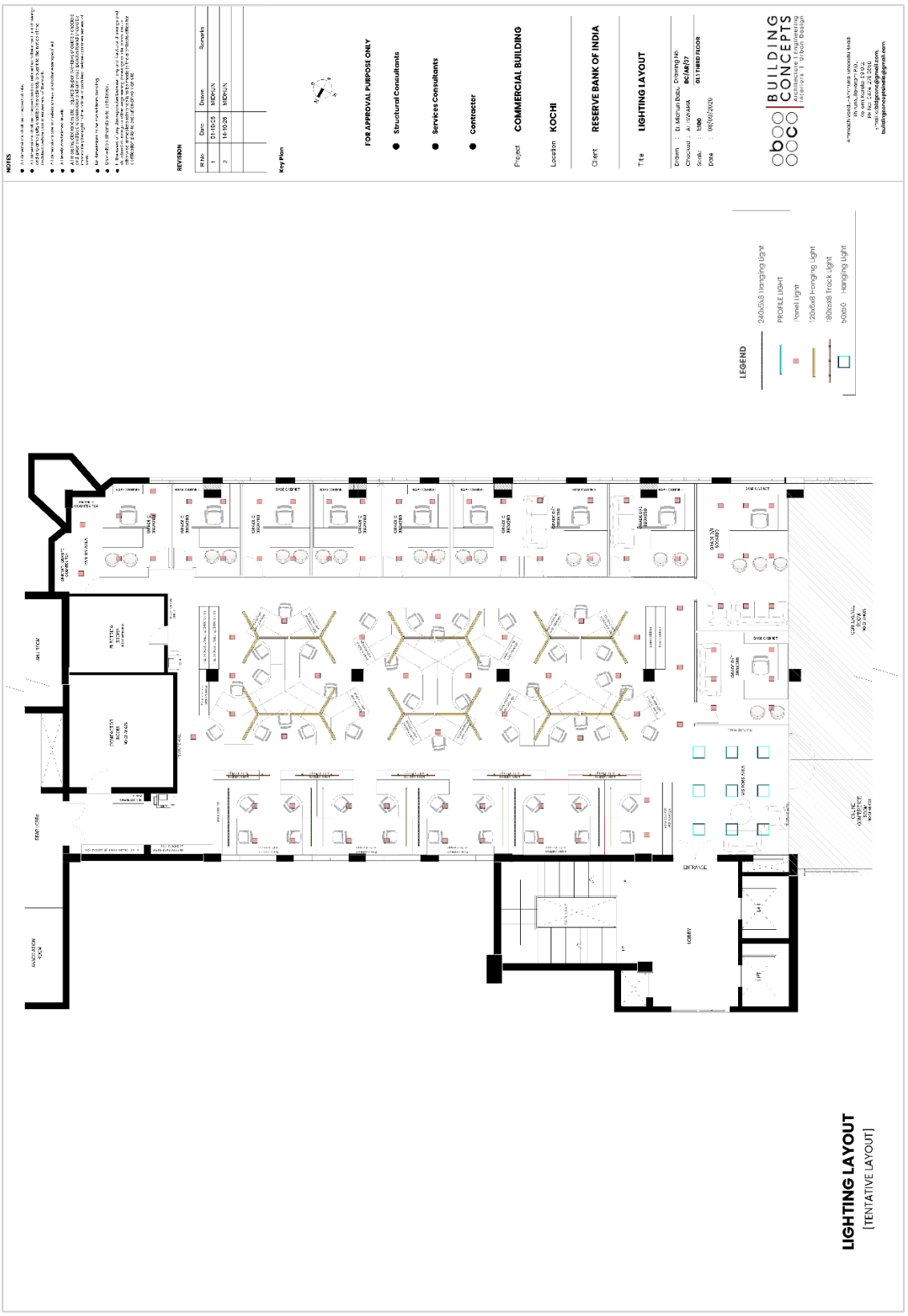
ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

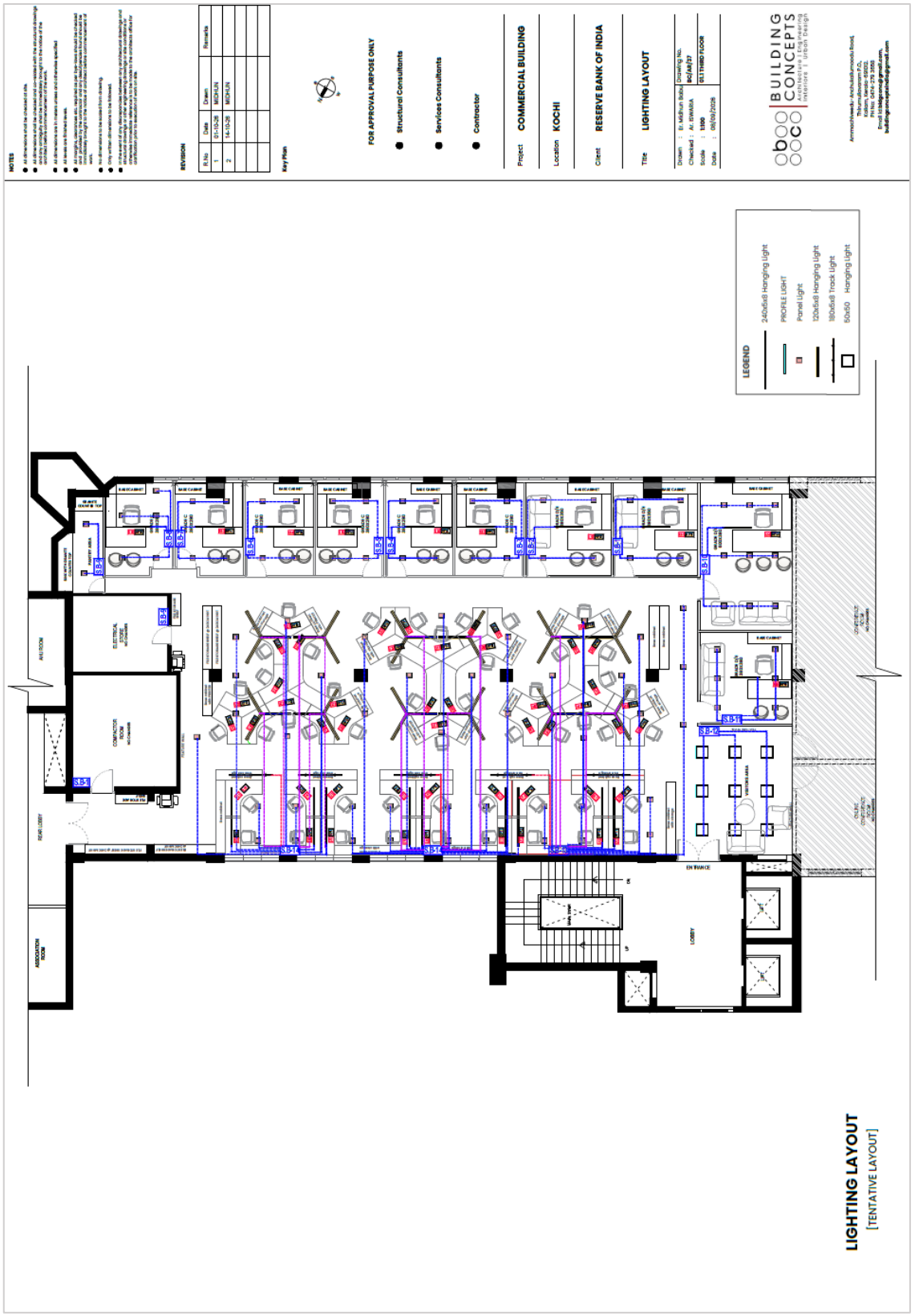
फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

खंड-IX

लेआउट


NOTES
REVISION
FOR APPROVAL PURPOSE ONLY
Structural Consultants
Services Consultants
Contractor
Project COMMERCIAL BUILDING
Location KOCHI
Client RESERVE BANK OF INDIA
Title LIGHTING LAYOUT
BUILDING CONCEPTS
LEGEND
240x5x8 Hanging Light
PROFILE LIGHT
Panel Light
1200x5x8 Hanging Light
1800x5x8 Track Light
600x60 Hanging Light
LIGHTING LAYOUT
[TENTATIVE LAYOUT]


NOTES
REVISION
R.No
Date
Drawn
Remarks
Key Plan
FOR APPROVAL PURPOSE ONLY
Structural Consultants
Services Consultants
Contractor
Project COMMERCIAL BUILDING
Location KOCHI
Client RESERVE BANK OF INDIA
Title LIGHTING LAYOUT
Drawing No. BC/AE/27
Scale : 1:100
Date : 08/09/2025
BUILDING CONCEPTS
Architectural | Engineering
Interiors | Urban Design
LEGEND
240x6x8 Hanging Light
PROFILE LIGHT
Panel Light
120x5x8 Hanging Light
1800x6x8 Track Light
50x150 Hanging Light
LIGHTING LAYOUT
[TENTATIVE LAYOUT]


NOTES
REVISION
Key Plan
FOR APPROVAL PURPOSE ONLY
Structural Consultants
Services Consultants
Contractor
Project COMMERCIAL BUILDING
Location KOCHI
Client RESERVE BANK OF INDIA
Title FLOOR LEVEL CABLE ROUTING LAYOUT
BUILDING CONCEPTS
LEGEND
TELEPHONE CABLE LINE
CAT6 DATA CABLE LINE
UPS AND RAW POWER LINE
T1 TELEPHONE LINE
D1 DATA POINT
NET WORK JUNCTION
POWER JUNCTION
FLOOR LEVEL CABLE ROUTING LAYOUT
[TENTATIVE LAYOUT]

खंड-X

चेक सूची

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, **कोच्ची** में तीसरी **मंज़िल** के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।

क्रम संख्या	**विवरण**	**बैंक की शर्तें**	**मंज़ूर है या नहीं (कृपया हाँ या नहीं बताएं)।**
1	बोली वैधता	निविदा (भाग-I) खुलने की तिथि से तीन महीने (90 दिन)।	
2	कीमतों	कॉन्ट्रैक्ट की पूरी अवधि के लिए रेट्स एक जैसे रहेंगे।	
3	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से कार्य आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन से 90 दिन।	
4	परिसमापन हर्जाना	देरी के हर हफ़्ते के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 0.25%, जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।	
5	दोष देयता अवधि (डीएलपी)	काम लगभग पूरा होने की तारीख से 12 महीने।	
6	अदायगी की शर्तें	निविदा के नियम और शर्तों के अनुसार।	
7	बीमा	इसमें शामिल होगा: a. ठेकेदार की ऑल रिस्क (CAR) पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट की पूरी रकम के लिए आग, भूकंप, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है। b. कामगार मुआवज़ा नीति c. निविदा की शर्तों के अनुसार थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी।	

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

धारा- XI

स्वीकृत ब्रांडों की सूची

1. आइटम नीचे बताए गए में से बनाए जाएंगे। सभी इलेक्ट्रिकल आइटम, इक्विपमेंट, फिटिंग पर बीआईएस मार्क होंगे और वे बैंक के अप्रूवल के अधीन होंगे।

वस्तु	स्वीकृत ब्रांड
एफ़आरएलएसएच पीवीसी इंसुलेटेड मल्टी स्ट्रैंडेड कॉपर वायर	एफ़आरएलएसएच (फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक एंड लो हैलोजन) रेटेड फिनोलेक्स / पॉलीकैब / हैवेल्स / आरआर-केबल
IS प्रमाणित पीवीसी कंड्यूट (मीडियम-ड्यूटी)	प्रेसिजन / मोडिस / या बैंक द्वारा अप्रूव्ड समकक्ष।
मोड़, फिक्सचर, वगैरह।	आईएस प्रमाणित, बैंक से अप्रूव्ड।
XLPE इंसुलेटेड, 1100V ग्रेड, आर्मर्ड Al / Cu केबल, स्पीकर केबल, टेलीफोन केबल, वगैरह।	फिनोलेक्स / पॉलीकैब / हैवेल्स / ग्लोस्टर / आरआर-केबल
स्विच, सॉकेट वगैरह एक्सेसरीज़ के साथ।	पैनासोनिक द्वारा एंकर, पेंटा मॉड्यूलर सीरीज़ (एंकर-पेंटा)।
डीबी, RCCB, MCB, ACCL, चेंज-ओवर स्विच, फ्यूज कैरियर, आदि।	लेग्रैंड / लॉरिट्ज़ नुडसेन / सीमेंस (बैंक की मंज़ूरी से)
वर्कस्टेशन के लिए लीनियर सस्पेंडेड एल ई डि लाइट फिटिंग	फिलिप्स / क्रॉम्पटन / लूकर / या बैंक द्वारा स्वीकृत समकक्ष।
अन्य एल ई डि फिटिंग और एल ई डि बल्ब।	फिलिप्स / क्रॉम्पटन / लूकर / या बैंक द्वारा स्वीकृत समकक्ष।

2. मटीरियल , इक्विपमेंट और एक्सेसरीज़ के मेक ऊपर दिए गए अप्रूव्ड-मेक शेड्यूल से चुने जाएंगे, जो बैंक की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा। सभी मटीरियल संबंधित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार होंगे, और जहाँ भी लागू हो, BIS मार्किंग/सर्टिफ़िकेशन दिया जाएगा। अप्रूव्ड लिस्ट में किसी मेक को शामिल करने से **ठेकेदार** को बताई गई मटीरियल प्रॉपर्टीज़, परफ़ॉर्मेंस और एप्लिकेशन की ज़रूरतों के कम्प्लायंस से छूट नहीं मिलेगी।

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने / हमने ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन्स को पढ़ और समझ लिया है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

अनुबंध -1

निषेध की घोषणा के संबंध में वचन

(निविदा को अपने लेटरहेड पर जमा करना होगा)

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।

1. मैं / हम (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ / करते हैं कि

 a. मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

 b. मैंने/हमने या हमारी किसी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

 c. मुझे/हमें या हमारी किसी भी सहयोगी फर्म* को बिड जमा करने की आखिरी तारीख तक पब्लिक प्रोक्योरमेंट (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी प्रोक्योरिंग एंटिटी द्वारा डिबार नहीं किया गया है।

 d. अगर मुझे/हमें या हमारी किसी जुड़ी हुई फर्म* को भारत या किसी दूसरे देश में किसी पब्लिक संस्था/एंटिटी द्वारा बताए गए काम के लिए काम मिलने पर या उससे पहले डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो मैं/हम बैंक को लिखकर बता देंगे।

2. मैं / हम(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं / हम या हमारी सहयोगी फर्म*(सहयोगी फर्म(फर्मों) का नाम) को(भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाला गया है और यह(तारीख) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

(नोट: ऊपर दिए गए दो घोषणा में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को "एलाइड फर्म" कहा जाएगा अगर मैनेजमेंट कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसका कंट्रोलिंग वॉइस हो। इसके अलावा, सभी सक्सेसर फर्मों को भी एलाइड फर्म माना जाएगा।

अनुबंध -2

काम को समझने के लिए निविदा देने वाले को साइट विज़िट के बारे में अंडरटेकिंग देनी होगी

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

मैडम/ सर,

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।

हम, मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम), ऊपर दिए गए काम के लिए निविदा देने वाले, कन्फर्म करते हैं कि हमने साइट विज़िट की है और मौजूदा सिस्टम, अभी काम कर रहे सिस्टम और प्रपोज़्ड सिस्टम के काम के स्कोप की सही विवरण समझ ली हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

अनुबंध 3

कॉन्ट्रैक्ट लेबर नियमों/रेगुलेशन का पालन न करने पर एम्प्लॉयर को हर्जाना देने के लिए प्रोफ़ॉर्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

मैडम सर,

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।

हम, मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम), इसके द्वारा यह वादा करते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की नौकरी और उनके पेमेंट के बारे में सभी कानूनी नियमों का पालन करेंगे।

हम इसके द्वारा एम्प्लॉयर, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक को कॉन्ट्रैक्ट लेबर को किए जाने वाले पेमेंट और इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए पूरी तरह से हर्जाना देते हैं और हर्जाना देते रहेंगे, बिना हमारे उप-ठेकेदार से हर्जाना मांगने के हमारे अधिकार पर कोई असर डाले।

आपका विश्वासी,

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

अनुबंध- 4

विचलन की अनुसूची

हम कन्फर्म करते हैं कि नीचे दिए गए डेविएशन को छोड़कर बैंक के सभी कमर्शियल सेवा शर्तें हमें एक्सेप्टेबल हैं।

क्र	खंड सं.	खंड सं.	प्रस्तावित विचलन

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

अनुबंध- 5

प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: **ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।**

संदर्भ : **एनआईटी / विज्ञापन संख्या, दिनांक**

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने शीर्षक कार्य (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) के लिए अनुबंध मेसर्स (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) को दिया है।

और जबकि ठेकेदार, उक्त अनुबंध द्वारा आरबीआई को कुल ₹ (रुपये मात्र) की एक प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि उक्त ठेकेदार द्वारा अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति की जा सके। हम,(बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) मेसर्स, ठेकेदार के अनुरोध पर, अनुबंध के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में आरबीआई को ₹ (रुपये मात्र) से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1.0 हम, (बैंक का नाम), इसके द्वारा आरबीआई, हमारे उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह दायित्व लेते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ (रुपये केवल) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन सुरक्षा जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ (रुपये केवल) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2.0 हम यह भी वचन देने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि उपरोक्त बताई गई रकम ₹ (रुपये केवल) से अधिक नहीं होगी, जिसका भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई से मांगने पर लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर करेंगे जिसमें कहा गया हो कि रकम उन्हें देय है, और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी तरह से इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। बैंक आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई कोई भी रकम का

भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ(ों) के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद और इस गारंटी के तहत देनदारी पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम उपरोक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3.0 हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए एग्रीमेंट या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

4.0 आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि-

a) आरबीआई की तरफ से इस एग्रीमेंट की शर्तों को लागू करने में या इस कॉन्ट्रैक्ट और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों के पालन में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई की तरफ से ठेकेदार को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना या उससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ ठेकेदार द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा करने में नाकाम रहने की स्थिति में, हमारी तरफ से ₹ (सिर्फ़ रुपये) से ज़्यादा रकम का पेमेंट करने पर ही खत्म होगी।

ख) इन उपहारों के अंतर्गत हमारी देनदारी ₹ (रुपये मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

c) इस एग्रीमेंट के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे क्लाइंट्स/कंपनियों की तरफ से उस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे उन कंपनियों के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह के बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी (दोष देयता अवधि से दिन आगे) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई आगे की अवधि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो इसमें निहित हैं।

e) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जब तक कि इन तोहफ़ों को ऊपर बताए गए तरीके से तारीख को या उस दिन जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, रिन्यू नहीं किया जाता, जिसके लिए आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, जो भी तारीख बाद में हो। जब तक या किसी ज़्यादा समय के अंदर हमारे ख़िलाफ़ कोई क्लेम या केस या एक्शन फ़ाइल नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

आपका विश्वासी,

_____ बैंक। ऑथराइज़्ड बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर (सील के साथ)

नाम:

पद का नाम:

स्थान:

तारीख:

बैंक की मुहर/सील:

ऊपर बताए गए लोगों द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षर, सील और डिलीवर किया गया, इनकी मौजूदगी में:

गवाह

(1) हस्ताक्षर के साथ
नाम, पता और दिनांक

(2) हस्ताक्षर
नाम, पता और दिनांक

नोट: इस गारंटी पर उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी जहाँ इसे बनाया गया है, और इस पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसके हस्ताक्षर और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।

अनुबंध -6

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन प्रस्तुतियों से सभी पुरुषों को पता है, हम(बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और का पद धारण कर रहे हैं, को हमारे अटॉर्नी के रूप में नियुक्त और अधिकृत करते हैं, कि वे हमारे नाम पर और हमारी ओर से ' **ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य' के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें करें** जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, बोली-पूर्व बैठक में व्यक्तियों को नियुक्त करना और आरबीआई को सूचना / प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को मंज़ूरी देने के लिए सहमत हैं और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर / नाम /

बोली लगाने वाले की मुहर / मुहर

(**नोट:** पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर ठीक से स्टैम्प लगा होना चाहिए, और दिया गया नोटराइज़्ड पावर ऑफ़ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होगा। इस डॉक्यूमेंट पर उस राज्य के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसके हस्ताक्षर और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।)

अनुबंध-7

ई-निविदा के बारे में ज़रूरी निर्देश

- प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता / बिडर सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) है। https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-निविदा का प्रोसेस: बिडर मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

नए बिडर के लिए रजिस्ट्रेशन : इस प्रोसेस में वेंडर का सीपीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शामिल है जो फ्री है । HYPERLINK "https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page" https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी टेक्निकल सवाल के लिए 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें:

- 0120-4001 002
- 0120-4001 005
- 0120- 4493395

इंटरनेशनल बिडर्स से रिक्वेस्ट है कि वे कंट्री कोड के तौर पर +91 लगाएं।

ईमेल सपोर्ट: पब्लिश हुए निविदा से जुड़े किसी भी इश्यू या क्लैरिफिकेशन के लिए, बिडर्स से रिक्वेस्ट है कि वे संबंधित निविदा इनवाइटिंग अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें।

- तकनीकी - support-eproc@nic.in
- नीति संबंधी - cppp-doe@nic.in

अनुबंध- 8

करार की शर्तें

(काम मिलने पर स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा। स्टाम्प पेपर का खर्च सफल बोली लगाने वाले को उठाना होगा।)

करार की शर्तें एक पक्ष के भारतीय रिज़र्व बैंक, (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष के _____ _____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच _____दिन को बनाए गए।

जबकि बैंक निम्नलिखित प्रदान करने का कार्य प्राप्त करने का इच्छुक है कार्यालय भवन, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के रेनोवेशन के लिए इलेक्ट्रिकल काम। और किए जाने वाले कामों के बारे में स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं।

और जबकि बताए गए स्पेसिफिकेशन्स, क्वांटिटीज़ का शेड्यूल और ड्रॉइंग्स पर पार्टियों की ओर से या उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों और अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन (जिन सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा जाएगा) उक्त चित्रों में दिखाए गए और/या उक्त विनिर्देश में वर्णित और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जो उसमें तय राशि या उसके तहत देय ऐसी अन्य राशि के बराबर होगी (जिसे इसके बाद 'उक्त अनुबंध राशि' कहा जाएगा)।

अब यह इस प्रकार सहमत है:

1. बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से पेमेंट की जाने वाली कॉन्ट्रैक्ट रकम के बदले में, ठेकेदार बताई गई शर्तों के तहत, बताई गई ड्रॉइंग्स में दिखाए गए और बताई गई स्पेसिफिकेशंस और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताए गए काम को पूरा करेगा।

2. बैंक ठेकेदार को बताई गई कॉन्ट्रैक्ट रकम, या कोई दूसरी रकम जो देने लायक हो, शर्तों में बताए गए समय और तरीके से देगा।

3. यहां बताई गई शर्तें और परिशिष्ट इस एग्रीमेंट का हिस्सा माने जाएंगे और इसके सभी पक्ष इन शर्तों का पालन करेंगे, इनके अधीन रहेंगे और अपनी ओर से इन शर्तों में दिए गए एग्रीमेंट को पूरा करेंगे।

4. यहां बताए गए प्लान, एग्रीमेंट और दस्तावेज़ इस कॉन्ट्रैक्ट का आधार होंगे।

5. यह कॉन्ट्रैक्ट न तो एक तय एकमुश्त कॉन्ट्रैक्ट है और न ही पीस कार्य कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि यह कार्यालय भवन, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के रेनोवेशन से जुड़े इलेक्ट्रिकल काम को मंज़ूर ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ के हिसाब से करने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका पेमेंट शेड्यूल ऑफ़ रेट्स में दिए गए रेट्स और संभावित क्वांटिटीज़ या बताई गई शर्तों में दिए गए रेट्स पर असल में मापी गई क्वांटिटीज़ के हिसाब से किया जाएगा।

6. ठेकेदार, सिविल कामों और दूसरे सहायक कामों से जुड़े सभी कामों को शर्तों में बताए गए तरीके से करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा, और ऐसे काम पूरे होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

7. बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट पर बिना किसी असर के, काम के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर, या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर, ड्राइंग और काम के नेचर को बदलने का अधिकार अपने पास रखता है।

8. इस कॉन्ट्रैक्ट में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा। ठेकेदार बैंक से फॉर्मल कार्य आदेश/सूचना जारी होने की तारीख के सातवें दिन काम शुरू करने और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के तहत, काम शुरू होने के 90 दिनों के अंदर पूरा काम पूरा करने के लिए सहमत है।

9. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंक द्वारा सभी पेमेंट सिर्फ़ कोच्ची में किए जाएंगे।

10. इस एग्रीमेंट से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े कोच्ची में हुए माने जाएंगे और उन्हें तय करने का अधिकार सिर्फ़ कोच्ची के कोर्ट के पास होगा।

11. ठेकेदार, एम्प्लॉयर के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और विवरण, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान उसके पास या जानकारी में आए, किसी तीसरे पक्ष को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से नहीं बताएगा और इसे हर समय पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट की विवरण को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। ठेकेदार, एम्प्लॉयर की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी विवरण पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या शेयर नहीं करेगा। ठेकेदार, किसी भी गोपनीय जानकारी के डिस्क्लोजर की वजह से एम्प्लॉयर को हुए किसी भी नुकसान के लिए एम्प्लॉयर को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और एम्प्लॉयर नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

12. ठेकेदार/एजेंसी "काम की स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और समाधान) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त एक्ट के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

13. अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो ठेकेदार को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार अपने मज़दूरों को इतनी संख्या में रखेगा कि काम की रफ़्तार और क्वालिटी बनी रहे, ताकि कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई क्वालिटी का काम आरबीआई को संतुष्ट कर सके। ठेकेदार काम के सिलसिले में ऐसे किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जिसकी उम्र अठारह साल पूरी न हुई हो।

14. ठेकेदार द्वारा रखे गए सभी वर्कर या कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी माने जाएंगे और ऐसे वर्कर /कर्मचारियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की किसी भी तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ठेकेदार अपने द्वारा सीधे काम पर रखे गए मज़दूरों को मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार सही मज़दूरी से कम नहीं देगा। सही मज़दूरी का मतलब है, जिसमें हफ़्ते के आराम के दिन की मज़दूरी और दूसरे भत्ते शामिल होंगे, चाहे वे टाइम कार्य के लिए हों या पीस कार्य के लिए, आस-पड़ोस में इसी तरह के रोज़गार के लिए मौजूदा मार्केट रेट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यह मिनिमम वेज एक्ट के पेमेंट के तहत तय की गई मज़दूरी की न्यूनतम दरों से कम नहीं होगी।

15. ठेकेदार अपने या अपने उप-ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए लेबर के मामले में, उसमें दिए गए सभी मामलों में बिडर लेबर रेगुलेशन का पालन करेगा या करवाएगा। ठेकेदार पेमेंट ऑफ़ वेजेज़ एक्ट, 1936, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948, एम्प्लॉयर्स देयता एक्ट, 1938, वर्कमेन्स कम्पनसेशन एक्ट, 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947, मैटरनिटी बेनिफिट

एक्ट, 1970, वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013, या उसके किसी भी बदलाव या उससे जुड़े किसी दूसरे कानून, और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रोविज़न का पालन करेगा। ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा।

a. काम के दौरान या उसके कारण किसी तीसरे पक्ष को हुए जान-माल के नुकसान/क्षति से होने वाला कोई भी दावा।

b. काम पूरा होने के दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए मज़दूरों को हुए नुकसान/क्षति से होने वाला कोई भी क्लेम।

c. लागू PF / लेबर कानूनों, ESI नियमों वगैरह का पालन न करने की वजह से कोई भी क्लेम।

16. ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले, अपने खर्च पर, भारतीय रिज़र्व बैंक से ज़रूरी इंश्योरेंस कवर (जैसे, कामगार क्षतिपूर्ति पॉलिसी, सीएआर पॉलिसी, थर्ड पार्टी देयता) लेना होगा।

17. ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970 के नियमों का पालन करना होगा। फाइनल बिल जारी करने से पहले, ठेकेदार को एक प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने अपने द्वारा काम पर रखे गए सभी तरह के मजदूरों को इस काम को पूरा करने के लिए असल में पूरा बकाया चुका दिया है, जो मिनिमम वेज एक्ट, 1949 के तहत तय रेट से कम नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ज़रूरी सुविधाएं देने के संबंध में CLRA एक्ट के नियमों का पालन किया है।

18. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 महामारी के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार और बैंक द्वारा जारी निर्देश / निर्देशों का बैंक में तैनात कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाए। नियंत्रण क्षेत्र या संगरोध के तहत श्रमिकों को काम के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ठेकेदार को बैंक में तैनात कर्मचारियों की कड़ी निगरानी करनी चाहिए और किसी भी कर्मचारी / कर्मचारी के परिवार के सदस्य को 'कोविड' संक्रमित पाए जाने की स्थिति में, कर्मचारियों को तुरंत बदलने की कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक वे तैनात रहें, कर्मचारियों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। ठेकेदार उन्हें आवश्यक दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र, आदि, और यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, ठेकेदार उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में अपनी विफलता, गलती या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय / कानूनी देनदारी से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

19. ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

20. इस कॉन्ट्रैक्ट के कई हिस्सों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

अगर ठेकेदार पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है	इसके सबूत के तौर पर बैंक और ठेकेदार ने इन तोहफ़ों और इनकी दो कॉपी पर अपने-अपने दस्तखत किए हैं, जो ऊपर लिखे गए दिन और साल के हैं।
अगर ठेकेदार कोई कंपनी है	इसके सबूत के तौर पर बैंक ने अपने सही अधिकारी के ज़रिए इन तोहफ़ों पर दस्तखत किए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी आम मुहर लगवाई है और इन तोहफ़ों और इनकी दो डुप्लीकेट

को अपनी तरफ़ से, ऊपर लिखे गए पहले दिन और साल में बनवाया है।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

.....

(नाम और पदनाम)

.....

.....। की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

.....

.....

.....

गवाहों

हस्ताक्षर और वितरित द्वारा1).....पता.....

.....

2)

पता

.....

अगर पार्ट-पार्टनरशिप फर्म या कोई व्यक्ति है, तो सभी पार्टनर्स या सभी की ओर से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

गवाहों

अगर ठेकेदार अपनी कॉमन सील के तहत हस्ताक्षर करता है, तो सिग्नेचर क्लॉज़ आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन्स में उनके सीलिंग क्लॉज़ से मैच करना चाहिए।

की सामान्य मुहर

पारित प्रस्तावों के अनुसार इसे यहां जोड़ा गया

इसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में

.....
.....

की उपस्थिति में

(1)

.....

चाहे ठेकेदार कंपनी हो या व्यक्ति, वह पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर हाथ से हस्ताक्षर करता है।

(2)

.....

चाहे ठेकेदार कंपनी हो या व्यक्ति, वह पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर हाथ से हस्ताक्षर करता है।

जिन निदेशकों ने इन प्रेजेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें इनकी मौजूदगी में लिया जाएगा।

(1)

(2)

ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

श्री

और सही तरीके से वकील बनाया गया है।

अनुबंध- 9

<u>भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन / घोषणा / प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्मा</u>

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

मैडम/ सर,

कार्य का नाम: **ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।**

1. मैं / हम (बोली लगाने वाले के स्थान के देश सहित नाम और पता) ने 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और उसके बाद के आदेशों / सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधन की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले एक देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के बारे में है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम)

 i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

 ii. भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से हो और सक्षम अधिकारी के पास रजिस्टर्ड हो, जिसका सर्टिफ़िकेट साथ में हो, या

 iii. भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से हो, जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन बढ़ाई हैं, या

 iv. यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश से है, जहाँ भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है।

 (ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)।

3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम) इस बारे में सभी ज़रूरतें पूरी करता है और ऊपर बताए गए ऑफ़िस मेमोरेंडम और उसके बाद के आदेश/रिविज़न के तहत विचार किए जाने के लिए एलिजिबल है। मैं/हम यह भी वादा करते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के मामले में भी जहाँ हमें बैंक/आरबीआई से सब-कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त है, मैं/हम(बोली लगाने वाले का नाम) भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के किसी ठेकेदार को कोई काम सब-कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे , जब तक कि ऐसा ठेकेदार ऊपर बताए गए ऑफ़िस मेमोरेंडम/आदेश में दी गई सभी ज़रूरतें पूरी नहीं करता।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, अगर हमारे द्वारा जमा किया गया यह अंडरटेकिंग/घोषणा/प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/कार्य आदेश को रिजेक्ट/टर्मिनेट करने के लिए आज़ाद होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी आज़ाद होगा, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट/परफ़ॉर्मेंस बैंक

गारंटी/सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए निविदा में भाग लेने से हमें रोकना शामिल है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख:

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोच्ची

के लिए ई-निविदा

आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य

भाग-II

(मूल्य बोली)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची- 682018

खंड-XIII

बिना मूल्य वाली मात्राओं का बिल

(जीएसटी को छोड़कर रेट बताए जाएंगे)

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	मात्रा
1	वायरिंग का प्रोविज़न और निविदा दस्तावेज़ में बताए गए ज़रूरी मानक, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, काम के स्कोप वगैरह के हिसाब से ये काम किए जाएंगे। वायर किए जाने वाले सर्किट के लिए: a. डीबी से स्विच / स्विच बोर्ड तक एवरेज रॉ पावर सर्किट की लंबाई -35 mtrs है; b. स्विच से पॉइंट तक एवरेज लाइट सर्किट की लंबाई -10 mtrs है; c. डीबी से स्विच / स्विच बोर्ड तक एवरेज यूपीएस सर्किट की लंबाई -25 mtrs है। काम के स्कोप और रेट में सही लंबाई का 25mm पीवीसी मीडियम ड्यूटी कंड्यूट, और सभी ज़रूरी एक्सेसरीज़, फिटिंग्स, और स्पेयर्स की सप्लाई और बिछाना शामिल होगा, जो मानक, निविदा स्पेसिफिकेशन्स, और साइट पर ज़रूरत के हिसाब से पूरे होंगे।		
1.1	एक एग्जॉस्ट फैन / लाइट / सीलिंग फैन पॉइंट, जो एक 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होता है, मानक के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरा किया गया है।	संख्या	11
1.2	दो एग्जॉस्ट फैन / लाइट / सीलिंग फैन पॉइंट, जो एक 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होते हैं, मानक के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरे किए गए हैं।	संख्या	9
1.3	तीन एग्जॉस्ट फैन / लाइट / सीलिंग फैन पॉइंट एक 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होते हैं, जो मानक के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरे किए गए हैं।	संख्या	16
1.4	चार एग्जॉस्ट फैन / लाइट / सीलिंग फैन पॉइंट एक 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होते हैं, जो मानक के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरे किए गए हैं।	संख्या	12
1.5	पांच एग्जॉस्ट फैन / लाइट / सीलिंग फैन पॉइंट एक 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होते हैं, जो मानक के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरे किए गए हैं।	संख्या	3
1.6	छह एग्जॉस्ट फैन / लाइट / सीलिंग फैन पॉइंट एक 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच से कंट्रोल होते हैं, जो मानक के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरे किए गए हैं।	संख्या	9
1.7	एक 6A इंडिपेंडेंट स्विच-सॉकेट रॉ पावर पॉइंट जिसमें 1 नंबर 2/3 पिन सॉकेट और 1 नंबर 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच हो, मानक के हिसाब से और बताए गए तरीके से पूरा किया गया हो। वॉल फैन पॉइंट के लिए, स्विच और सॉकेट साइट की कंडीशन के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। बताए गए रेट में पॉइंट को लगाने के लिए वर्कस्टेशन की सतहों को काटने का चार्ज शामिल होगा।	संख्या	38
1.8	एक 6A इंडिपेंडेंट स्विच-सॉकेट यूपीएस पावर पॉइंट जिसमें 1 नंबर 2/3 पिन सॉकेट और 1 नंबर 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच हो, मानक के हिसाब से और बताए गए तरीके से बनाया गया हो। वॉल फैन पॉइंट के लिए, स्विच और सॉकेट साइट की कंडीशन के हिसाब से अलग-अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। बताए गए रेट में पॉइंट को लगाने के लिए वर्कस्टेशन की सतहों को काटने का चार्ज शामिल होगा।	संख्या	46

1.9	एक 16A इंडिपेंडेंट स्विच-सॉकेट रॉ पावर पॉइंट, जिसमें 1 नंबर 16A 2 / 3 पिन सॉकेट और 1 नंबर 16A मॉड्यूलर टाइप स्विच इंडिकेटर के साथ है, मानक के अनुसार और बताए गए तरीके से पूरा किया गया है।	संख्या	8
1.10	एक 6A हाफ पॉइंट (यूपीएस या रॉ पावर पॉइंट) जिसमें 1 2/3 पिन सॉकेट और 1 6A मॉड्यूलर टाइप स्विच है, जो मॉड्यूलर प्लेट के साथ मौजूदा स्विच बोर्ड पर वायर्ड है, मानक के अनुसार और बताए गए तरीके से पूरा किया गया है।	संख्या	27
2	रॉ पावर VTPN डीबी: साइट पर 12-वे, थ्री-फेज, फैक्ट्री में बना, IP43 प्रोटेक्शन रेटेड, डबल डोर मेटैलिक वर्टिकल डीबी (इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, VTPN डीबी) की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें मौजूदा रॉ पावर इनकमिंग कनेक्शन को खत्म करना शामिल है, जिसमें लूप कनेक्शन, न्यूट्रल और अर्थ बार शामिल हैं, और सभी ज़रूरी एक्सेसरीज़, फिटिंग्स और स्पेयर्स का इस्तेमाल संबंधित स्टैंडर्ड्स के अनुसार और बताए गए तरीके से किया जाना चाहिए। स्विच गियर स्लॉट्स में गैप से बचने के लिए, अगर कोई हो, तो जहाँ भी ज़रूरत हो, खाली प्लेट्स दी जानी चाहिए।	संख्या	1
3	रॉ पावर इनकमर: नीचे दिए गए 4 कोर 10 sq. mm XLPE इंसुलेटेड 1.1 kV ग्रेड के आर्मर्ड एल्यूमीनियम पावर केबल की सप्लाई, बिछाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें पीतल के कम्प्रेशन ग्लैंड और सही कॉपर लग्स के साथ एंड टर्मिनेशन, मिनिमम 12-SWG बेयर कॉपर वायर/कंडक्टर का इस्तेमाल करके ग्लैंड अर्थिंग शामिल है, मानक के अनुसार और बताए गए तरीके से पूरा किया जाएगा। केबल को सैडल्स का इस्तेमाल करके क्लैंप किए हुए तरीके से दीवार में थोड़ा छिपाया जाएगा / थोड़ा सतह पर रखा जाएगा।	मीटर।	5
4	रॉ पावर इनकमर RCCB: नए इंस्टॉल किए गए डीबी में, स्टैंडर्ड्स के अनुसार और बताए गए तरीके से, इनकमर- 63A, 30mA सेंसिटिविटी 4P RCCB की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कनेक्टिंग और कमीशनिंग पूरी हो गई।	संख्या	1
5	रॉ पावर इनकमर MCB: नए इंस्टॉल किए गए डीबी में मानक और बताए गए तरीके से इनकमर-63A 4P MCB की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कनेक्टिंग और कमीशनिंग पूरी की जाएगी। इस काम के लिए सिर्फ़ टाइप-C MCB का इस्तेमाल किया जाएगा।	संख्या	1
6	यूपीएस TPN डीबी: साइट पर 12-वे, थ्री-फेज, फैक्ट्री में बना, IP43 प्रोटेक्शन रेटेड, डबल डोर मेटैलिक हॉरिजॉन्टल डीबी (इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, TPN डीबी) की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें मौजूदा यूपीएस इनकमिंग कनेक्शन को खत्म करना शामिल है, लूप कनेक्शन, न्यूट्रल और अर्थ बार के साथ, सभी ज़रूरी एक्सेसरीज़, फिटिंग्स और स्पेयर्स का इस्तेमाल संबंधित स्टैंडर्ड्स के अनुसार और बताए गए तरीके से किया जाएगा। स्विच गियर स्लॉट्स में गैप से बचने के लिए, अगर कोई हो, तो जहाँ भी ज़रूरत हो, खाली प्लेट्स दी जानी चाहिए।	संख्या	1
7	यूपीएस इनकमर: नीचे दिए गए 4 कोर 6 sq. mm XLPE इंसुलेटेड 1.1 kV ग्रेड के आर्मर्ड कॉपर पावर केबल की सप्लाई, बिछाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें पीतल के कम्प्रेशन ग्लैंड और सही कॉपर लग्स के साथ एंड टर्मिनेशन, ग्लैंड अर्थिंग, कम से कम 12-SWG बेयर कॉपर के 2 रन पैरेलल में बिछाए गए, मानक के अनुसार और बताए गए तरीके से पूरे किए गए हैं। केबल को सैडल्स का इस्तेमाल करके क्लैंप किए हुए तरीके से दीवार में थोड़ा छिपाया जाएगा / थोड़ा सतह पर रखा जाएगा।	मीटर।	20

8	यूपीएस इनकमर MCB: नए इंस्टॉल किए गए डीबी में मानक और बताए गए तरीके से इनकमर-40A 4P MCB की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कनेक्टिंग और कमीशनिंग पूरी की जाएगी। इस काम के लिए सिर्फ़ टाइप-C MCB का इस्तेमाल किया जाएगा।	संख्या	1
9	आउटगोइंग MCBs: आउटगोइंग- 16A / 10A / 6A SP MCB की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कनेक्टिंग और कमीशनिंग, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और बताए गए तरीके से, नए इंस्टॉल किए गए डीबी (यूपीएस या रॉ पावर) में पूरी की जाएगी। इस काम के लिए सिर्फ़ C-कर्व (टाइप-C) MCBs का इस्तेमाल किया जाएगा।	संख्या	70
10	इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी सभी हार्डवेयर मटीरियल के साथ नीचे दी गई फिटिंग की सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग और कमीशन।		
10.1	वर्कस्टेशन के लिए लीनियर सस्पेंडेड एलईडी लाइट फिटिंग (~2400mm, वॉटेज ~50W)	संख्या	9
10.2	वर्कस्टेशन के लिए लीनियर सस्पेंडेड एल ई डि लाइट फिटिंग (~1200mm, वॉटेज ~40W)	संख्या	46
10.3	एल ई डि ट्रैक लाइट फिटिंग (~10W)	संख्या	15
10.4	एल ई डि 30x30cm सरफेस-टाइप फिटिंग (~25W)	संख्या	109
10.5	एल ई डि 50x50cm सरफेस-टाइप फिटिंग (~35W)	संख्या	9
11	स्पीकर केबलिंग: 1.5 sq. mm, 2-कोर, एनील्ड टिन्ड कॉपर कंडक्टर स्पीकर केबल की सप्लाई, बिछाना, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें पीवीसी इंसुलेशन, ट्विस्टेड कोर, पीवीसी आउटर जैकेट/शीथ वगैरह हों। इसे पीवीसी कंड्यूट के ज़रिए, थोड़ा दीवार में छिपाकर / थोड़ा सतह पर, सैडल्स का इस्तेमाल करके क्लैंप किए हुए तरीके से, सभी ज़रूरी कनेक्टर, फिटिंग और दूसरी एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करके, मौजूदा केबल एंट्री पॉइंट से प्रस्तावित स्पीकर लोकेशन तक ले जाया जाएगा, स्टैंडर्ड्स के अनुसार और बताए गए तरीके से पूरा किया जाएगा। काम के दायरे और रेट्स में सही लंबाई का पीवीसी मीडियम ड्यूटी कंड्यूट, और सभी ज़रूरी एक्सेसरीज़, फिटिंग और स्पेयर्स की सप्लाई और बिछाना शामिल होगा, जो स्टैंडर्ड्स, निविदा स्पेसिफिकेशन्स और साइट पर ज़रूरत के अनुसार पूरे किए जाएंगे।	मीटर।	100
12	मौजूदा वायरिंग / एनक्लोजर बॉक्स / स्विच बॉक्स / लाइट फिटिंग वगैरह हटाने का चार्ज।	बहुत	1
13	पुरानी वायरिंग, कंड्यूट वगैरह को वापस खरीदना और हटाना।	बहुत	1

1. सभी क्वांटिटीज़ अप्रूव्ड ड्रॉइंग्स और निविदा के मेज़रमेंट प्रोविज़न्स के अनुसार असल एग्ज़िक्यूशन और जॉइंट मेज़रमेंट्स के अधीन होंगी। वायरिंग और इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, जिसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस, पोलैरिटी, प्रोटेक्टिव-कंडक्टर कंटिन्यूटी, फेज़ सीक्वेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइस का ऑपरेशन, और टेस्ट और कमीशनिंग रिकॉर्ड जमा करना शामिल है, संबंधित आइटम रेट्स में शामिल होंगे, जैसा लागू हो।

2. मैंने इस बिना कीमत वाले बीओक्यू में पूरे स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम करने के लिए, प्राइस बिड के लिए अपलोड की गई एक्सेल शीट में रेट्स कोट किए हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
तारीख: